लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २७, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXVII, 1964/1885 (Saka)

[९ से २० मार्च, १९६४/१९ से ३० फाल्गुन, १८८५ (शक)]

[March 9 to 20, 1964/ Phalguna 19 to 30, 1885 (Saka)]

Preservation
Fumigated On 14.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

(Vol. XXVII contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय सूची

अंक २९---गुरुवार, १९ मार्च, १९६४ / २९ फाल्गुन, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२२५३—७८
*तारांकित प्रश्न संख्या		
६५३	दिल्ली वृहद् योजना	२२५३–५४
६५४	तुंगभद्रा बांध	२२५५–५६
६५५	निर्यात योग्य माल के निर्माताओं को छूट	२२५६–५७
६५७	आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच	२२५८–५९
६५८	सरकारी दफ्तरों में स्टील का फर्नीचर	२२६०—६२
६५९	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	२२६०—६५
६६०	कृष्णा-गोदावरी नदी जल विवाद	२२६५—६८
६६१	हीरों का तस्कर व्यापार	२२६८—७०
६६२	दिल्ली स्कूलों में दूध के पाउडर का वितरण	२२७०—७२
६६३	दिल्ली में बाल पक्षाघात (पोलियो) का इलाज	२२७२—७४
६६४	भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिये मकान	२२७४—७६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१२	लिसाड़ा नाला	२२७७–७८
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२२७८—२३०७
तारांकित प्रश्न संख्या		
६५६	तीसरी योजना के लिये आवंटन	२२७८–७९
६६५	नेपाल के साथ व्यापार करार	२२७९
६६६	जाली मुद्रा बनाने वाला गिरोह	२२७९
६६७	विदेशों से भेजा जाने वाला धन	२२८०
६६८	नई दिल्ली नगरपालिका को सरकार द्वारा देय धन	२२८०

*किसी प्रश्न पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No 29 Thursday, March 19, 1964 Phalguna 29, 1885 (Saka)

	Subject	Page
	Oral Answers to Questions	2253—78
*Starred Question Nos.		
653	Delhi Master Plan	2253-54
654	Tungabhadra Dam	2255-56
655	Rebate to Manufacturers of Exportable Goods	2256-57
657	Inquiry by Income-tax Authorities	2258-59
658	Steel Furniture in Government Offices	2260—62
659	Public Sector Enterprises	2262—65
660	Krishna-Godavari River Waters Dispute	2265—68
661	Smuggling of Diamonds	2268—70
662	Milk Powder Distribution in Delhi Schools	2272—72
663	Treatment of Polio Cases in Delhi	2272—74
664	Houses for Landless Agricultural Workers	2274—76
Short Notice Question No.		
12	Lissara Drain	2277-78
	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	2278—2301
Starred Questions Nos.		
656	Third Plan Allocations	2278-79
665	Trade Agreement with Nepal	2279
666	Counterfeit Currency Racket	2279
667	Remittances from Abroad	2280
668	Government Dues to N.D.M.C.	2280

*The Sign+marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
६६९	ब्रह्मपुत्र नदी	२२८०—८१
६७०	स्वर्ण नियंत्रण आदेश	२२८१
६७१	दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना	२२८१—८२
६७२	डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली	२२८२

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१२९८	आन्ध्र प्रदेश में सिंचाई योजनायें	२२८३
१२९९	आन्ध्र प्रदेश में बकाया आय कर	२२८३
१३००	उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	२२८३
१३०१	उड़ीसा में ग्रामीण आवास योजनायें	२२८४
१३०२	उड़ीसा में प्रमुख सिंचाई योजनायें	२२८४
१३०३	उड़ीसा में पीने के पानी का सम्भरण	२२८४--८५
१३०४	सिक्युरिटी प्रैस, नासिक	२२८५
१३०५	हठ योग	२२८६
१३०६	आसाम में ग्राम्य विद्युतीकरण	२२८६
१३०७	हृदय रोगों के अमरीका विशेषज्ञ	२२८७
१३०८	दिल्ली में जल-प्रदाय	२२८७
१३०९	माइक्रो-हाइडल सेट	२२८८
१३१०	कोपिली जल विद्युत परियोजना	२२८८
१४११	पंजाब में बाढ़ नियंत्रण	२२८९
१३१२	कानपुर में क्षय रोग अस्पताल	२२८९
१३१३	चमड़े की वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क	२२८९
१३१४	चिनानी विद्युत योजना	२२९०
१३१५	उर्वरक उद्योग में विनियोजन	२२९०
१३१६	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	२२९०—९१
१३१७	दामोदर घाटी निगम नहर	२२९१—९२
१३१८	पंजाब में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण	२२९२
१३१९	स्वर्ण नियंत्रण आदेश	२२९२—९३
१३२०	पंजाब में हैजा और चेचक	२२९३
१३२१	अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली	२२९४

WRITTEN ANSWERS—(*Contd.*)

Starred Question Nos.	Subject	Pages
669	Brahmaputra River	2280-81
670	Gold Control Order	2281
671	Power Break downs in Delhi	2281-82
672	Defence Colony, New Delhi	2282

Unstarred Question Nos.	Subject	Pages
1298	Irrigation schemes in Andhra Pradesh	2283
1299	Income Tax Arrears in Andhra Pradesh	2283
1300	Primary Health Centres in Orissa	2283
1301	Rural Housing Schemes in Orissa	2284
1302	Major Irrigation Schemes in Orissa	2284
1303	Drinking Water Supply for Orissa	2284-85
1304	Security Press, Nasik	2285
1305	Hatha Yoga	2286
1306	Rural Electrification in Assam	2286
1307	American Cardiology Experts	2287
1308	Water Supply in Delhi	2287
1309	Micro-Hydel Sets	2288
1310	Kopili Hydel Project	2288
1311	Flood Control in Punjab	2289
1312	T.B. Hospital at Kanpur	2289
1313	Excise Duties on Leather Goods	2289
1314	Chinani Power Plan	2290
1315	Investment in Fertiliser Industry	2290
1316	British India Corporation Ltd., Kanpur	2290-91
1317	D.V.C. Canal	2291-92
1318	Medical Education and Training in Punjab	2292
1319	Gold Control Order	2292-93
1320	Small-Pox and Cholera in Punjab	2293
1321	All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	2294

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

विषय		पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३२२	दामोदर घाटी निगम	२२९४
१३२३	दिल्ली के अस्पतालों में से बच्चों का अपहरण	२२९४–९५
१३२४	राकफेलर प्रतिष्ठान अनुदान	२२९५
१३२५	दिल्ली में अन्धे व्यक्तियों की चिकित्सा	२२९५
१३२६	मद्रास में कुन्डा विद्युत परियोजना	२२९५–९६
१३२७	पंजाब में सम्पदा-शुल्क का निर्धारण	२२९६
१३२८	जीवन बीमा निगम	२२९६–९७
१३२९	अंश पूंजी में विदेशी सहयोग	२२९७–९८
१३३०	राजस्थान नहर	२२९८
१३३१	हिन्दी में गजट-आफ इण्डिया	२२९८
१३३२	सिंचाई क्षमता	२२९९
१३३३	राजस्थान में सिंचाई और विद्युत योजनायें	२२९९
१३३४	राजस्थान में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें	२२९९–२३००
१३३५	बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण	२३००
१३३६	चौथी पंचवर्षीय योजना	२३००
१३३७	आगरा में कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल	२३००–०१
१३३८	आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें	२३०१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २३०१—०३

जम्मू तथा काश्मीर में हाल ही में हुए विस्फोट

श्री रा० बरुआ २३०१

श्री हाथी २३०१–०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३०३–०४

राज्य सभा से सन्देश २३०५

तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ के उत्तर में शुद्धि २३०५

तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य और मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण २३०५–०६

सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित . २३०६

WRITTEN ANSWERS—(*Contd.*)

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
1322	D.V.C.	2294
1323	Abduction of Children from Delhi Hospitals	2294-95
1324	Rockfeller Foundation Grants	2295
1325	Medical Treatment of Blind Persons in Delhi	2295
1326	Kundah Power Project in Madras	2295-96
1327	Estate Duty Assessment in Punjab	2296
1328	L.I.C.	2296-97
1329	Foreign Participation in Equity Capital	2297-98
1330	Rajasthan Canal	2298
1331	Gazette of India in Hindi	2298
1332	Irrigation Potential	2299
1333	Irrigation and Power Schemes in Rajasthan	2299
1334	Rural Industrial Projects in Rajasthan	2299-2300
1335	Economic Survey of Bihar	2300
1336	Fourth Plan	2300
1337	Hospital for Leprosy Patients at Agra	2300-01
1338	Rural Water Supply Schemes in Andhra Pradesh	2301

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . 2301—03

Recent explosions in Jammu & Kashmir

Shri R. Barua 2301

Shri Hathi . . . . 2301—03

Papers laid on the Table 2303-04

Messages from Rajya Sabha 2305

Correction of answer to Starred Question No. 625 2305

Statement by Member and clarification by Minister *re*: Starred Question No. 361 2305-06

Public Employment (Requirement as to Residence) Amendment Bill Introduced 2306

विषय	पृष्ठ
लॉर्ड इर्विन की मूर्ति के बारे में	२३०७
अनुदानों की मांगें	२३०६--३४
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
श्री काशी नाथ पांडे	२३०७--०८
श्री अ० ना० विद्यालंकार	२३०८--०९
श्री प्र० कु० घोष	२३०९--११
श्री मू० भ० वैश्य	२३११
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	२३११--१२
श्री शिवमूर्ति स्वामी	२३१२--१५
श्री व० बा० गांधी	२३१५--१६
श्री अ० शं० आल्वा	२३१६
श्री कछवाय	२३१७--१८
श्री राम सहाय पाण्डेय	२३१८--१९
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	२३१९--२०
श्रीमती विमला देवी	२३२०--२१
श्री भू० ना० मण्डल	२३२१--२२
श्री संजीवय्या	२३२२--२८
प्रतिरक्षा मंत्रालय	२३२९--३४

Subject	Page
Re : Statute of Lord Irwin	2307
Demands for Grants	2306—34
Minitry of Labour and Employment	
Shri K.N. Pande	2307–08
Shri A.N. Vidyalankar	2308–09
Shri P.K. Ghosh	2309–11
Shri M.B. Vaishya	2311
Shri P.R. Chakraverti	2311–12
Shri Sivamurthi Swamy	2312—15
Shri V.B. Gandhi	2315–16
Shri A.S. Alva	2316
Shri Kachhavaiya	2317–18
Shri R.S. Pandy	2318–19
Dr. L.M. Singhvi	2319–20
Shrimati Vimla Devi	2320–21
Shri B.N. Mandal	2321–22
Shri J. Sanjivayya	2322—28
Ministry of Defence	2329—34

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

151 (Ai) LSD—1

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, १९ मार्च, १९६४/२९ फाल्गुन, १८८५ (शक)

Thursday, March 19, 1964/*Phalguna* 29, 1885 (*Saka*).

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
[MR. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Delhi Master Plan

\+
*653. **Shri P. R. Chakraverti :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in the scheme for the colonisation of ring towns under the Master Plan of Delhi;

(b) whether any step has been taken by Punjab Government in this regard; and

(c) if so, the nature thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Dr. D. S. Raju) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library, See No.* LT-2556/64].

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि जमीनों के उपलब्ध न कराये जाने के कारण गत चार वर्षों से दिल्ली में लघु उद्योगों का विकास रुक गया है और यदि हां, तो क्या सरकार इन उद्योगों को किन्ही शर्तों के अधीन उन स्थानों में कार्य करने देगी जिन्हें कि अनुकूल नहीं समझा जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जी नहीं। यह सच नहीं है। जमीनों का विकास किया जा रहा है। तथा स्थान दिये जा रहे हैं किसी को भी अनुपयुक्त स्थानों पर उद्योग चालू करने की अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : उद्योगपतियों को दिल्ली से अन्य विकसित स्थानों पर भेज देने की क्या संभावनायें हैं तथा उनके लिये क्या मूल्य लिया जायेगा ?

डा० सुशीला नायर : उद्योगों को वर्तमान स्थानों से औद्योगिक क्षेत्रों में शनैः शनैः भेजने का विचार है। भेजने पर निश्चित रूप से कितना खर्च आयेगा यह मैं नहीं बता सकती।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि इन 'रिंग टाउनों' में लगभग कितने व्यक्ति बस सकेंगे और यदि हां, तो इन नगरों में आबादी को बसाने के लिये क्रमबद्ध कार्यक्रम क्या है और इसमें कितना समय लगेगा ?

डा० सुशीला नायर : दिल्ली की बृहद् योजना के मूल रूप के अनुसार ६ 'रिंग टाउन' बसाये जाने हैं। इनमें से लोनी तथा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में तथा फरीदाबाद-बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ और गुड़गांव पंजाब राज्य में आते हैं। जहां तक गाजियाबाद तथा लोनी का संबंध है, बृहद् योजना अच्छी प्रगति कर रही है। यह अनुमान लगाया गया है कि ८०,००० की वर्तमान आबादी के मुकाबले १९८१ के अन्त तक इस क्षेत्र की आबादी ६ लाख हो जायेगी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यद्यपि पंजाब ने फरीदाबाद क्षेत्र के लिये हाल ही में कोई अन्तरिम योजना तैयार की है, परन्तु फिर भी पंजाब क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह इतनी सन्तोषजनक नहीं है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: This Master Plan covers a very wide area of Punjab. May I know whether this area would be administered by the Central Government or the Punjab Government?

Dr. Sushila Nayar: The area of a particular State would be under the administrative control of the State concerned. But the Master Plan is prepared by mutual consultation.

Shri Gulshan: May I know whether this Master Plan also envisages the rehabilitation of the *Jhuggi Jhopri* dwellers, living in Delhi for a very long time, in the surrounding areas of Delhi for the development of which this Plan is being prepared?

Dr. Sushila Nayar: These *Jhuggi Jhopri* dewellers are those people who had illegally settled on roads and other unauthorised places. They have been removed from these places and rehabilitated in better and developed places where there is provision of water and drainage etc. This has been done under the *jhuggi Jhopri* Scheme. Those people who go a step farther and construct their houses are given help by the Works and. Housing Ministry.

तुंगभद्रा बांध

+

*६५४. { श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री दे० द० पुरी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि ७६ लाख रुपये की लागत की मशीनरी तुंगभद्रा बांध के स्थान पर बेकार पड़ी है, हालांकि परियोजना कार्य १९५४ में पूर्ण हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस मशीनरी को लाभदायक काम में लगाने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). १९५४ में केवल बांध ही ही पूरा हुआ था । नहरों तथा उपकुल्यिकाओं[1] के निर्माण सम्बन्धी कार्य, जो कि परियोजना का एक अंग है, १९५४ के बाद भी होता रहा है । स्वयं परियोजना में २२ लाख रुपये की लागत की मशीनें काम में लायी जा रही हैं । १८ लाख रुपये की लागत की मशीन अन्य परियोजनाओं के लिये भेज दी गई हैं । १५.५६ लाख रुपये की मशीनें बेकार तथा रद्दी घोषित कर दी गई हैं । शेष मशीनों की विभिन्न अवस्थाओं में मरम्मत की जा रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सिंचाई और विद्युत् के बहुत बड़े विशेषज्ञ होने के नाते, क्या माननीय मंत्री जी हमें यह विश्वास दिला सकेंगे कि समस्त अन्य बांधों के मामले में भी इस हेतु कदम उठाये जा रहे हैं कि प्रयोग में न आने के कारण मशीनें बेकार न होने पायें । ?

डा० कु० ल० राव : जी, हां । फालतू मशीनों को किसी अन्य परियोजना-स्थल पर काम में लाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है और किया जायेगा ।

श्र प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या ऐसे विभिन्न बांध क्षेत्रों के बारे में अब तक कोई अनुमान लगाया गया है जहां पर मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं ?

डा० कु० ल० राव : परियोजनायें समय समय पर फालतू मशीनों के बारे में जानकारी प्रदान करती रहती हैं तथा विदेशों से मशीनें प्राप्त करने के लिये वस्तु आदेश देते समय हम हमेशा पहिले उन रिपोर्टों को देखते हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : किन परिस्थितियों में लगभग १६ लाख की मशीनें बेकार हुई तथा किन हालात में इसको रद्दी मशीनों के रूप में बेचा गया ?

डा० कु० ल० राव : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है । परन्तु सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि मशीनें बहुत अधिक समय से प्रयोग में लाई जा रही हैं तथा इन मशीनों में से कुछ ऐसी मशीनें, जो कि बराबर प्रयोग में आती हैं तथा तेजी से चलती हैं, शीघ्र ही बेकार हो जाती हैं । यह भी एक कारण होना चाहिये ।

[1]Distributaries

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि उन मशीनों के अधिकांश भाग को जो कि एक उच्च स्तर के बांध के लिये मंगाई गई थी, बांध के पूरा हो जाने के तत्काल बाद क्यों नहीं बेच दिया गया ?

डा० कु० ल० राव० : जैसा कि बताया गया है कि केवल बांध ही पूरा हुआ था तथा नहरों के निर्माण सम्बन्धी बहुत कार्य अभी करना बाकी है । अतः ये मशीनें, जिसमें मुख्यतया मिट्टी हटाने के उपकरण ही है, नहर के निर्माण के कार्य में बराबर काम में लाई जा रही हैं ।

श्री रंगा : इन मशीनों को हुई हानि, घिसाव अथवा अनुपयोगिता कहां तक इस बात के कारण हुई है कि ये मशीनें गत १० वर्षों से बिना किसी कार्य के वहां पर पड़ी रही हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस हेतु अब क्या उपाय किये गये हैं कि इनके फालतू घोषित हो जाने पर इनका ठीक प्रकार से हिसाब रखा जायेगा तथा रद्दी के रूप में उनको नहीं बेचा जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : क्या मैं पुनः निवेदन कर सकता हूं कि ७९ लाख रुपये की मशीनों में से ५५ लाख रुपये की मशीनें या तो स्वयं परियोजना में ही प्रयोग में लाई गई हैं अथवा मैसूर राज्य की अन्य बीच के पैमाने की सिंचाई परियोजनाओं में प्रयोग के लिये भेजी गई हैं तथा केवल १५ लाख रुपये की मशीनें ही बेकार हुई हैं । २४ लाख पये की मशीनों की मरम्मत की जा रही है ।

Shri Yashpal Singh : Is the Government in a position to indicate as to how much loss has been sustained by the Irrigation Department due to rust of this machinery?

डा० कु० ल० राव० : वस्तुतः कोई हानि नहीं हुई है । मशीनों के बारे में यह है कि यह बहुत काम में लाई जाती हैं तथा अधिकांश मशीनों का सामान्यतया अपलेखन कर दिया जाता है । मेरे द्वारा बताया गया ७९ लाख रुपये का मूल्य खरीद के समय का पुस्तक मूल्य है । इन मशीनों का मूल्य इस समय लाखों रुपया अधिक है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई जांच पड़ताल करने का है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये प्राप्त की गई मशीनों तथा सामग्री की देखभाल तथा समन्वय के अभाव के कारण देश को कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत अधिक व्यापक प्रश्न है ।

निर्यात योग्य माल के निर्माताओं को छूट

\+

*६५५. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० च० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुधांशु दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात योग्य माल के निर्माताओं को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर कोई छूट दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो यह छूट कब से दी जाती है ; और

(ग) क्या निर्माताओं ने इस नवीन नीति का लाभ उठाया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ के नियम १२ के अन्तर्गत तथा वित्त मंत्रालय की दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों तथा सीमाओं के अधीन उत्पादन-शुल्क वाले माल के निर्यातकों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पर छूट दी जाती है । इसी प्रकार से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ के नियम १३ तथा १४ के अन्तर्गत नमक, वनस्पति निर्गंध तेल तथा चाय को छोड़कर उत्पादन-शुल्क वाले माल का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी कारखाने अथवा भांडागार से बिना शुल्क दिये निर्यात किया जा सकता है ।

(ख) शुल्क पर छूट निम्न दो वर्गों के अधीन आती है :—

(१) निर्यात किये गये उत्पादन शुल्क वाले माल पर अन्य कहीं दिया गया शुल्क; और

(२) निर्यात किये गये माल के तैयार करने में प्रयोग में आने वाले उत्पादन-शुल्क वाले कुछ पदार्थों पर दिया गया शुल्क ।

उपरोक्त (क) के बारे में, १९४४ से लेकर आज तक निर्यात किये गये समस्त उत्पादन-शुल्क वाले माल पर नियम १२ के अधीन शुल्क में छूट दी गई है । (२) के अनुसार, जैसे कि मिठाई के बनाने में प्रयोग में लाई गई चीनी, प्रयोग में आने वाले उत्पादन-शुल्क वाले पदार्थों पर शुल्क की छूट देने के लिये गत कुछ वर्षों के दौरान, अर्थात् १९५६ के बाद से जब कभी भी आवश्यक समझा गया, प्रक्रियायें निर्धारित की गई हैं।

(ग) जी, हां ।

श्री सुबोध हंसदा : उत्पादन-शुल्क में छूट देने के कारण राजस्व की कितनी हानि हुई है ?

श्री ब० रा० भगत : वापिस की गई धन राशियां इस प्रकार हैं :—१९६०–६१— १.४६ करोड़ रुपये ; १९६१–६२ — १.५९ करोड़ रुपये तथा १९६२–६३— २.१० करोड़ रु० ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या पटसन उद्योग को भी कोई छूट ी जाती है ?

श्री ब० रा० भगत : निर्यात किये जाने वाले पटसन के माल पर भी इसी प्रकार से छूट मिलती है ।

Shri Gulshan : I want to know that the Government had taken a decision to rehabilitate the families of a number of soldiers in NEFA during the Third Plan......

Mr. Speaker : That is next question.

आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच

*६५७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या वित्त मंत्री कलकत्ता में एक व्यक्ति द्वारा एक लाख रुपये से अधिक के एक आनादृत चैक[1] दिये जाने और बाद में "यूनाइटेड इंडिया पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड" या "रायसीना पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली," में २ लाख रुपये की पूंजी लगाये जाने के मामले की आयकर प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच के बारे में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा १७ अप्रैल, १९६३ को दिये गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) और (ख). जांच अभी चल रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : भारतीय हैंसर्ड के अनुसार, लगभग एक वर्ष पहिले तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने जांच का आदेश दिया था । जांच इस समय किस अवस्था में है, कौन जांच कर रहा है तथा क्या इस बात का विश्वास करने के कोई कारण हैं कि इस संबंधित व्यक्ति का कुछ राजनीतिज्ञों के साथ, जिनमें तथाकथित प्रगतिशील अथवा वामपक्षी एक या दो भतपूर्व मंती भी सम्मिलित हैं, निकट का संबंध होने के कारण इस जांच में बाधा पड़ रही है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह एक व्यक्तिगत मामला है जिसके बारे में मेरे पूर्वाधिकारी ने अपने कार्यकाल के दौरान उल्लेख किया था । विभाग मामले की जांच कर रहा है । तथ्य बहुत अधिक स्पष्ट नहीं हैं । विभाग के लिये वास्तविक सूत्र का पता लगाना बहुत कठिन है । एक प्रकार से मेरे लिये इस स्थिति में इस मामले पर कुछ अधिक रोशनी डालना ठीक नहीं है । क्योंकि चूंकि जांच से किसी महत्वपूर्ण बात का अभी तक पता नहीं चला है, अतः मैं कुछ अधिक नहीं बता सकता । इसी के साथ साथ आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि न तो विभाग और न ही कोई अन्य व्यक्ति इस व्यक्ति का पक्ष ले रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि रायसीना पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पैट्रियट के नाम से एक दैनिक समाचारपत्र निकालता है, तथा/अथवा यूनाइटेड इंडिया पीरीयाडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड—यूनाइटेड इंडिया पब्लिकेशन्स प्राइवट लिमिटेड नहीं—जोकि लिंक के नाम से एक साप्ताहिक निकालता है, के अंशधारियों में एस० अमृत तथा देवेन्द्र कुमार मालवीय नाम के दो व्यक्ति भी हैं ? यदि हां, तो क्या प्रथम नाम वस्तुतः "श्रीपद अमृत डांगे" नाम का भ्रामक संक्षिप्त रूप है जो कि भारत के साम्यवादी दल के अध्यक्ष हैं तथा क्या दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम श्री देवेन्द्र कुमार मालवीय है, भूतपूर्व खान तथा ईंधन मंत्री का कोई निकट संबंधी है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैंने पहिले बताया, जिस व्यक्ति का नाम लिया गया है उस संबंधित व्यक्ति के बारे में विभाग जांच कर रहा है । अन्य संबंधों तथा उन के द्वारा धारण किये गये कल्पित नामों की जांच नहीं की जानी है । ये संबंध अथवा कल्पित नाम दिलचस्प हो सकते हैं परन्तु जहां तक करारोपण का अथवा समवाय विधि का उल्लंघन रोकने का संबंध है, उनसे कुछ भी पता नहीं चलता है । मैं माननीय सदस्य के पास जो जानकारी है उसके अतिरिक्त और कोई जानकारी उन्हें नहीं दे सकता ।

---

[1] Dishonoured cheque

श्री हरि विष्णु कामत : आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात मैंने कही थी वह यह थी कि इस मामले के पीछे कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अपना प्रभाव डालने की चेष्टा कर रहे हैं। उनमें से ये दो व्यक्ति भी हैं जो कि अंशधारी हैं .....

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं उत्तर को समझ पाया हूँ उसके अनुसार, वे व्यक्ति चाहे कोई भी हों, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाला जा रहा है तथा जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार इस बारे में कोई जांच करके पता लगायेगी कि क्या वह व्यक्ति वस्तुत: श्रीपद अमृत डांगे ही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन सबंधों से कोई अन्तर नहीं पड़ता है। मंत्री महोदय कहते हैं कि ये संबंध दिलचस्प तो हो सकते हैं परन्तु इनसे कुछ भी पता नहीं चलता है।

श्री रंगा : इस विलम्ब के बारे में एक वर्ष से हम उस सभा में शिकायत करते आ रहे हैं। इसका क्या कारण है कि यद्यपि एक मंत्री जी के जाने के बाद दूसरे मंत्री जी आ चुके हैं, परन्तु फिर भी यह जांच एक वर्ष से किसी ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंच पाई है जब कि स्वयं मंत्री जी इस ओर विशेष स्थान दे सकें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक वर्ष का समय गुजर जाने का यह अर्थ नहीं है कि कुछ नयी जानकारी अवश्य प्राप्त हो। जांच अब लगभग पूरी होने ही वाली है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अधिकारी अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, मेरी इस मामले में किसी भी रूप में अनुचित रूप से दिलचस्पी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है या वह कर का देनदार है तो उससे कर अवश्य लिया जायेगा।

श्री रंगा : उनका ध्यान इस बात की ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित किया गया था। क्या यह उनका कर्त्तव्य नहीं है कि वे इस मामले में दिलचस्पी लें तथा यह पता लगायें कि यह जांच अब किस अवस्था में है ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या अब यह मामला खटाई में पड़ गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि न तो मैं आयकर अधिकारी हूं और न ही जांच अधिकारी। नियमों के अनुसार, मैं अपने नाम से कोई भी आदेश वस्तुत: जारी नहीं कर सकता। मुझे यह कार्य अधिकारियों के नाम से करना पड़ता है। अत: मुझे विभाग से कहना पड़ता है। माननीय सदस्य की इसमें दिलचस्पी हो सकती है परन्तु हमारे सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जिससे इसमें से किसी और नई बात का पता लग सके। विभागीय जांच जारी है। यह भी हो सकता है कि इस जांच का परिणाम कुछ भी न निकले।

श्री रंगा : जांच कहां तक हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

सरकारी दफ्तरों में स्टील का फर्नीचर

+

*६५८. श्री स० चं० सामन्तः
श्री महेश्वर नायकः
श्री पें० वेंकटासुब्बयाः
श्री मोहन स्वरूप :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी दफ्तरों में स्टील का फर्नीचर रखने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के फलस्वरूप कितनी बचत होने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). यह निर्णय किया गया है कि कार्यालयों में फर्नीचर की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति यथासंभव स्टील का फर्नीचर खरीदकर की जाय । तथापि, यह कोई पूर्णतया नई बात नहीं है । रैक, आलमारियां, आदि जैसा स्टील का बना फर्नीचर पहिले से ही सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाया जा रहा है इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है कि इस निर्णय से कितनी बचत होने की संभावना है । यद्यपि लकड़ी के फर्नीचर के मुकाबिले स्टील के फर्नीचर पर प्रारम्भ में अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, परन्तु इसके अन्य लाभ हैं जैसे कि इसकी देखभाल पर कम लागत का आना तथा आग आदि की जोखिम का न होना । स्टील का फर्नीचर जगह भी कम घेरता है ।

श्री स० चं० सामन्त : जब कि स्टील का फर्नीचर प्रयोग में लाने के आर्थिक पहलू के बारे में कोई हिसाब नहीं लगाया गया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि इसके प्रयोग को अभी बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि स्टील के फर्नीचर पर अधिक लागत आयेगी । हम अपने कार्यालयों के लिये स्टील का फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, निवास स्थानों के लिये नहीं और जैसा कि मैंने बताया स्टील का फर्नीचर कम जगह घेरता है, इसके देखभाल करने पर कम खर्च पड़ता है तथा आग का कोई डर नहीं है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या वन अनुसंधान संस्था, देहरादून में तैयार किये गये बांस से बने फर्नीचर की जांच की गई है और क्या यह स्टील के फर्नीचर के समान ही ठीक रहेगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जी, नहीं । बांस के फर्नीचर के स्थान पर हमने लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करना शुरू किया है तथा अब लकड़ी के फर्नीचर के स्थान पर हम स्टील के फर्नीचर का प्रयोग करने वाले हैं ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : कार्यालयों में स्टील के फर्नीचर का प्रयोग चालू करने से पहिले क्या कच्चे माल, स्टील तथा लोहे की उपलब्धता का भी ध्यान रखा गया है क्यों कि सारे देश में फैले हुए हमारे उद्योगों के लिये भी इस कच्चे माल की समान रूप से आवश्यकता है ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमारी फर्नीचर की आवश्यकतायें बहुत अधिक नहीं हैं। किसी समय ऐसा था। विभिन्न पूछताछ तथा अन्य कार्यालयों के फर्नीचर के स्टाक का मैंने हिसाब लगवाया है। नये फर्नीचर की खरीद मैंने बन्द करा दी है। परन्तु जब हमें नया फर्नीचर खरीदने की बहुत आवश्यकता होती हैं तो साधारण लकड़ी के फर्नीचर के स्थान पर हम यथासंभव स्टील का फर्नीचर खरीदते हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : परन्तु प्रश्न यह है कि क्या कच्चा माल उपलब्ध है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यदि उपलब्ध होता है, तो हम खरीदते हैं अन्यथा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात पर बल देना चाहते हैं कि फर्नीचर की अपेक्षा स्टील को अन्य उद्योगों के लिये अधिक आवश्यकता है ।

Shri Kashi Ram Gupta : Is the steel furniture purchased from private sector companies and whether some standard exists for its purchase and if so, whether the purchases are made on the basis of tenders or otherwise?

Shri Mehr Chand Khanna : It is difficult for me to give a definite reply to it. But as far as I know, we purchase on the basis of tenders. The purchases are made through the Director General of Supplies and Disposals and he follows his own course. But I cannot give details.

Shri Onkar Lal Berwa : You purchase from the public sector. May I know why it is not got prepared in the private sector and purchased from it?

Shri Mehr Chand Khanna : I said that this work is done by the Directorate General of Supplies and Disposals which is a Government agency for the purchase and sale of goods. It is a very large organisation. Its offices are spread all over India. It depends upon requirements. But as far as I am concerned, if I find that an article with good quality is available at reasonable price in the public sector, I do not purchase it from the private sector.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने वातानुकूलित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में स्टील के फर्नीचर की उपयुक्तता के बारे में जांच की है और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में किये गये अपने निर्णय को बदलने के लिये तैयार है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यदि हमने जांच न की होती, तो हम स्टील के फर्नीचर के प्रयोग के निर्णय को न करते ।

श्री कपूर सिंह : क्या उन्होंने इसकी इस दृष्टिकोण से जांच की है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि स्टील का फर्नीचर उन स्थानों के लिये उपयुक्त नहीं हैं जो कि वातानुकूलित नहीं हैं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम नार्थ ब्लाक तथा साउथ ब्लाक में, जहां कि वातानुकूलन की व्यवस्था है, स्टील का फर्नीचर प्रयोग में ला रहे हैं। हमें किसी प्रकार की भी कठिनाई अनुभव नहीं हुई

Shri Kachhavaiya : The decision has been taken by the Government at the time when there is much shortage of steel in our country. May I know how much financial gain is likely to accrue to the Government as a result of this decision and whether there is also any scheme to augment the production of steel?

Shri Mehr Chand Khanna : The purchase of steel furniture for Government offices in future would not make much difference.

श्री फिरोडिया : लकड़ी के फर्नीचर को हटाकर उसके स्थान पर स्टील का फर्नीचर लगाने पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हम बदला नहीं कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हम धीरे धीरे यह कार्य कर रहे हैं। मैं अब तक खर्च की गई राशि आपको नहीं बता सकता।

Shri Bibhuti Mishra : Has it attracted the attention of the hon. Minister that the switching over to the use of steel furniture would affect the business of carpenters who prepare the wooden furniture and they would loose their employment?

Shri Mehr Chand Khanna : Keeping in view the number of offices we are opening, I am not the least worried about it.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*६५६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के शेष दो वर्षों में औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकारों ने क्या कार्यक्रम बनाये हैं ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अवधि में इस कार्य के लिये यदि राज्य सरकारों को कोई सहायता दी जायेगी, तो कितनी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) राज्य योजनाओं में सम्मिलित बड़ी औद्योगिक परियोजनायें तीसरी योजना के प्रतिवेदन (पृष्ठ ४६६-५००) में दी गई हैं। अगले दो वर्षों के लिये बनाये गये कार्यक्रम का मुख्य रूप से ध्येय इन योजनाओं को क्रियान्वित करना है। इसके अतिरिक्त, चौथी योजना की परियोजनाओं के बारे में अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(ख) राज्यों को औद्योगिक कार्यक्रमों के लिये केन्द्रीय सहायता देने के बारे में निर्णय प्रतिवर्ष संसाधनों की कुल उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : राज्य तथा केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये योजना में १३३० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से प्रथम ३ वर्षों में केवल ५६६ करोड़ रुपये खर्च हो पाये हैं। क्या इस वर्ष के लिये निश्चित की गई राशि पूरी की पूरी खर्च हो जायेगी, और यदि नहीं, तो कितनी शेष रह जायेगी ?

श्री जे० रा० पट्टाभिरामण : योजनाओं के लिये तीसरी योजना में कुल ६८.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रश्न राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र में उपक्रम स्थापित करने के कार्यक्रम से सम्बन्ध रखता है। कुछ महत्वपूर्ण योजनायें ये हैं; मैसूर आयरन एंड

स्टील कारखाना, मैसूर सरकार का बिजली कारखाना, दुर्गापुर कोक भट्टी संयंत्र तथा इसके सम्बन्धित अन्य बातें, आन्ध्र पेपर मिल्स, आसाम की प्राकृतिक गैस वितरण योजना, उत्तर प्रदेश के शुद्ध मापक यंत्र तथा सीमेंट तैयार करने वाले कारखाने तथा बिहार का सुपरफासफेट कारखाना—इन सबका विस्तार करना इन सब योजनाओं के लिये, जैसा मैंने बताया, तीसरी योजना में कुल ६८.५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: क्या मैं यह समझूं कि इन राज्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य में राज्यिक अथवा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? इस विवरण से पता चलता है कि प्रथम ३ वर्षों के दौरान, राजस्थान ने ५०६ लाख रुपयों में से १ करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया है। सरकार के पास इसका क्या उत्तर है?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन: मैं सूचना प्राप्त कर सकता हूं। इस समय मेरे पास राजस्थान के आंकड़े नहीं हैं।

श्री श्यामलाल सर्राफ: क्या राज्यों को दी गई सहायता उधार अथवा अनुदान अथवा बराबरी के अनुदान के रूप में दी गई है? और यदि इनमें से किसी रूप में दी गई है तो अनुपात क्या है?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन: ये ऋण के रूप में है। राज्यों के समूचे कार्यक्रम का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई समूची केन्द्रीय सहायता से होता है। संसाधन सम्बन्धी स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय वार्षिक आधार पर किया जाता है। अतः यह बताना संभव नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा: सरकारी क्षेत्र की राज्यों की योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार का कोई अभिकरण है और यदि हां, तो क्या अभी तक कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन: योजना आयोग के सलाहकार बराबर भ्रमण करते रहते हैं तथा कार्यक्रमों की कार्यान्विति के बारे में हमें रिपोर्ट देते रहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा: श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि योजना आयोग के सदस्य बराबर दौरा करते रहते हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन: मैंने कहा है कि सलाहकार भ्रमण करते रहते हैं तथा हमें रिपोर्ट्स देते रहते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा: यदि ये सज्जन अर्थात् सलाहकार बराबर दौरा करते रहते हैं, सामग्री एकत्रित करते रहते हैं तथा रिपोर्ट देते रहते हैं तो क्या इसका यह अर्थ निकलता है कि सब काम ठीक चल रहा है? उनके बराबर दौरा करने तथा मूल्यांकन करने में क्या सम्बन्ध है? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय: क्या संविधान के उपबन्धों अथवा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के किसी नियम का कोई उल्लंघन हुआ है जो कि मैं इस औचित्य प्रश्न पर निर्णय दूं?

श्री तिरूमल राव : क्या यह सच है कि योजना आयोग का सलाह पर आन्ध्र की सरकार ने यह निर्णय किया है कि आन्ध्र के राजामुन्द्री स्थित कागज मिल को एक गैर-सरकारी निगम को सौंप दिया जाय तथा अधिकांश अंश गैर सरकारी क्षेत्र के होंगे और सरकार के कम ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : योजना आयोग का इसमें कोई हाथ नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह बात कहां तक सच है कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार कार्यक्रम की प्रगति इतनी धीमी है कि लक्ष्यों की प्राप्ति न हो सकेगी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सारी धनराशि व्यय न हो पायेगी ? सरकार का इस सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : प्रथमतः ये राज्यों के कार्यक्रम हैं जिनके लिये केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के सीमेन्ट कारखाने तथा दुर्गापुर कोक भट्टी संयंत्र सम्बन्धी योजनायें कार्यान्वित की जा चुकी हैं तथा कुछ योजनाओं की क्रियान्विति हो रही है।

श्री क० ना० तिवारी : बिहार को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था तथा बिहार सरकार ने अब तक कितनी राशि खर्च की है ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : आवंटन नहीं, यह केन्द्रीय सहायता है। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, मैंने मदें बता दी हैं।

श्री अ० प्र० जैन : चूंकि राज्य स्वायत्त हैं, तो क्या फिर भी यह आवश्यक है कि सरकार इन परियोजनाओं की प्रगति पर निगाह रखने के लिये एक व्यवस्था का बन्दोबस्त करे ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : वास्तविक स्थिति यह है कि यह व्यापक होनी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चौथी योजना एक अच्छे आधार पर प्रारम्भ हो। फिर भी अग्रिम कार्यवाही की जाती है और सहायता दी जाती है ताकि विकास की गति में तीव्रता लाई जा सके।

श्री बूटा सिंह : योजना के अगले दो वर्षों के दौरान गैर सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभि रामन : यह एक पृथक प्रश्न है।

Shri Onkar Lal Berwa : In view of the famine conditions in Rajasthan, would the financial assistance promised by the Government to industrial areas would also be extended to Rajasthan?

The Minister of Planning (Shri B.R. Bhagat) : Assistance has been given to Rajasthan also.

श्री बूटा सिंह : मुझे जानकारी नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने कहा कि यह एक पृथक प्रश्न है ।

Shri Yashpal Singh: As the hon. Minister said, in Uttar Pradesh, particularly in Kanpur, there is much room for steel production and Uttar Pradesh is the most backward state in the matter of steel. May I know what is being done for Uttar Pradesh either in the private or public sector?

Shri B. R. Bhagat: Some capacity has been licenced for steel production in the private sector and production is already afoot in the public sector. If the hon. Member gives a separate notice for it a list thereof may be laid on the Table.

(अन्तर्बाधा) ।

Shri R. S. Pandey: Are some financial difficulties coming in the way of the industrial progress being made in all the states during the remaining two years of Third Five Year Plan on account of rising prices? If so, what steps are being taken by Government in this regard?

Shri B. R. Bhagat: Prices of which commodities? Is the hon. Member referring to the prices of foodgrains?

Shri R. S. Pandey: I mean cost of materials.

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

Shri B.R. Bhagat: The cost of the projects also goes up with an increase in the price of materials.

अध्यक्ष महोदय : लाउड स्पीकर में कहीं कोई खराबी तो नहीं है, इसकी जांच की जाये क्योंकि माननीय सदस्यों की ओर से बराबर यह शिकायत आ रही है कि वे उत्तर नहीं सुन पा रहे हैं ।

कृष्णा-गोदावरी नदी जल विवाद

+
*६६०. श्री नाथ पाई :
श्री कोल्ला बैंकेया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री रा० गि० दुबे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्ण गोदावरी नदियों के पानी के वितरण के संबंध में विवाद का कोई अन्तिम निबटारा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

श्री नाथ पाई : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि कृष्णा नदी तथा उसकी शाखा के जल के बटवारे के बारे में पहिले निर्णय किया जा चुका है, सरकार का प्रधान मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को दिये गये इस वचन का पालन करने के लिये कि महाराष्ट्र की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जायेगा क्या कुछ करने का विचार है? इस बचन को स्वयं मंत्री जी ने भी, यद्यपि वैसे शब्दो में नहीं परन्तु जिनका अर्थ लगभग यही निकलता है, बाद में दोहराया है ।

डा० कु० ल० राव : अभी काफी गुंजायश है तथा इस बारे में डर की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच है कि सम्बन्धित राज्य अभी भी असंतुष्ट हैं? इस बात को देखते हुये तथा स्थानीय, एवम् संकीर्ण भाषाई तथा प्रान्तीय भावनाओं को इस मामले में कोई स्थान न देते हुए क्या सरकार उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के एक मात्र सिद्धांत के आधार पर जल का पुनः बटवारा करने का प्रयत्न करेगी ?

डा० कु० ल० राव: जी, हां, श्रीमान। राष्ट्रीय हित में सब से अच्छा उपयोग करने के आधार पर बटवारा किया जायेगा ।

श्री शं० शा मोरे : क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि एक न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाय और यदि हां, तो सरकार का उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

डा० कु० ला० राव : यह सच है कि महाराष्ट्र एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति चाहता था । परन्तु अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा ४ के अधीन सरकार को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि मामला बातचीत के द्वारा नहीं सुलझ सकता। सरकार ऐसा नहीं सोचती कि यह मामला बातचीत के द्वारा नहीं सुलझ सकता ।

श्री विभूति मिश्र : विवाद के निबटारे में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ?

डा० कु० ल० राव : मुख्य कठिनाई यह है कि तीनों राज्यों के प्रतिनिधि एक साथ बैठें तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझने की कोशिश करें।

Shri Bibhuti Mishra : Sir, the hon. Minister has not pointed out the main difficulty.

Mr. Speaker : The hon. Member knows that self-interest is involved in it. What other difficulty can there be?

श्री बासप्पा : क्या भारत सरकार का जल नियतन सम्बन्धी हाल का निर्णय किसी भी राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं है तथा क्या उन्होंने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति किये जाने की मांग की है ?

डा० कु० ल० राव : मैंने इस प्रश्न का अभी अभी उत्तर दिया है । महाराष्ट्र सरकार ने न्यायाधिकरण की मांग की थी। परन्तु इस समय इसकी नियुक्ति को वांछनीय नहीं समझा जाता है। क्योंकि सरकार का यह विचार है कि यह मामला बातचीत के द्वारा सुलझाय जा सकता है।

श्री वी० चं० शर्मा : मंत्री जी ने अभी कहा कि यह मामला बातचीत के द्वारा सुलझाया जा सकता है । इन तमाम वर्षों के दौरान बातचीत के द्वारा विवाद के निपटारे की प्रगति में क्या चीज बाधक रही है और वे क्या बातें हैं जिनके कारण केन्द्रीय सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है ताकि यह जटिल समस्या हल की जा सके ?

डा० कु० ल० राव : सरकार इस समस्या को मैत्रीपूर्ण तरीके से यथा संभव शीघ्र सुलझाने के लिये प्रत्येक कदम उठा रही है ।

श्री अ० प्र० जैन : क्या यह केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकार द्वारा की गई न्यायाधिकरण की नियुक्ति की मांग को स्वीकार करे अथवा नहीं या वह इसके लिये बाध्य है ?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम की धारा ४ की ओर ध्यान दें । जिस में यह दिया गया है कि भारत सरकार तभी न्यायाधिकरण नियुक्त करेगी जब कि उसको यह विश्वास दिला दिया जाय कि मामला बातचीत के द्वारा नहीं सुलझ सकता ?

डा० मा० श्री अणे : क्या सरकार नियतन करते समय राज्यों की तात्कालिक तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगी ?

डा० कु० ल० राव : सरकार इस समस्या को हल करने में वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की सम्भावनाओं को ध्यान में रखेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the mounting tension between these two States on the question of Krishna-Godavari River Waters, is this not the duty of the Government of India to find a solution to this problem as early as possible? What action is being taken by Government in this matter?

डा० कु० ल० राव : सरकार यह चाहती है कि यह प्रश्न यथासंभव शीघ्र सुलझ जाय ।

श्री रंगा : जल को बहुप्रयोजनीय योजनाओं, विद्युत् उत्पादन तथा सिंचाई के लिये प्रयोग में लाने के स्थान पर केवल विद्युत् उत्पादन के लिये काम में लाने के बाद में अरब सागर में चले जाने देना क्या राष्ट्रीय जल संसाधनों को बुरी तरह नष्ट करना नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : निपटारे के समय इस बात को ध्यान में रखा जायेगा ?

श्रीमती सावित्री निगम : जैसा कि सुविदित है, दो राज्यों के विवादों से हमेशा राष्ट्र को हानि होती है । सरकार अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम में संशोधन करने तथा विवादों के निपटारे के लिये अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिये क्यों तैयार नहीं है ?

डा० कु० ल० राव : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है ।

श्री हेडा : क्या सरकार को इस बात का पता है कि जल का, विशेषकर अनिश्चित स्थिति के कारण गोदावरी के जल का, उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा उसके कारण जितने पानी की आवश्यकता है उतना उपलब्ध नहीं हो रहा है जिस से पोचमपाद क्षेत्र के खेतों को बिल्कुल भी पानी नहीं पंहुच रहा है ?

डा० कु० ल० राव : इस मामले का निपटारा न होने से कृष्णा अथवा गोदावरी के बेसिन में किये जाने वाले किसी भी विकास कार्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है ।

Smuggling of Diamonds

***661. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggling of diamonds is on the increase and diamonds are being smuggled by placing them in transistor battery sets and by other means;

(b) the countries from which they are being smuggled and whether any action has been taken to check this smuggling; and

(c) the quantity of smuggled diamonds seized during the last one year?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (c) : Diamonds valued at about Rs. 23 lakhs were seized as smuggled by the Customs, Land Customs and Central Excise authorities during the year 1963. There is no reason to believe that smuggling of diamonds is on the increase. Various methods of smuggling of diamonds have been noticed including concealment in a transistor radio set.

(d) The seized diamonds appear to have been smuggled from Switzerland, the U.K., East and South Africa, the Far East, Belgium, Ceylon, Burma and Pakistan. Government have adopted various legislative and executive measures to combat smuggling.

Shri Prakash Vir Shastri : The smuggling of diamonds has been on the increase since last year after the implementation of Gold Control Order. Have Government tried to ascertain the extent of diamonds smuggling at present as compared to that before the implementation of the said Order?

Shri B. R. Bhagat : Diamonds worth Rs. 14 lakhs were seized during 1962 and as already stated by me diamonds valued at about Rs. 23 lakhs were seized during the year 1963. This little increase cannot lead one to believe that it has been only due to implementation of the Gold Control Order. There might be various other factors responsible for it.

Shri Prakash Vir Shastri : What kind of smuggled diamonds were seized? Were they raw diamonds which were cut and processed here or were they processed diamonds?

Shri B. R. Bhagat : I do not have the list but they may be of both the types.

Shri Kashiram Gupta : May I know, whether the persons caught for smuggling of these diamonds are Indian citizens or foreigners?

Shri B. R. Bhagat : I do not have the list but it is beyond doubt that persons who have been so caught are Indians.

श्री हरि विष्णु कामत : हीरे के तस्कर व्यापार की मात्रा में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और अविचारित स्वर्ण नियंत्रण आदेश विधेयक से अर्जित अनुभव से लाभ उठाते हुए, क्या एक पृथक हीरा नियंत्रण आदेश लागू करने का सरकार का विचार है ? क्योंकि सोने के तस्कर व्यापार के लिये, स्वर्ण नियंत्रण आदेश जारी किया गया था अतः क्या एक पृथक हीरा नियंत्रण आदेश भी जारी किया जायेगा ।

श्री त्यागी : परन्तु हीरा तो १४ केरट का नहीं हो सकता ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि सोने और हीरे के मूल्य, मात्रा, किस्म और व्यापार की किस्म इन सब में अन्तर है । सोने का तस्कर व्यापार बहुत सीमित है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा प्रश्न यह था कि क्या एक पृथक हीरा नियंत्रण आदेश लागू करने का सरकार का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर ऊपर दिये गये उत्तर में समाविष्ट है ।

श्री हरि विष्णु कामत: श्रीमन्, वह किस प्रकार । उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हीरा तो सोने से पृथक है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि ये दोनों मामले अलग-अलग किस्म के हैं । और ऐसा आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमन्, आपको कष्ट देते हुए मुझे खेद है परन्तु यह बात स्पष्ट नहीं थी । उन्होंने स्वयं ही यह स्वीकार किया है ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं । मेरा प्रश्न यह था : स्वर्ण नियंत्र आदेश से प्राप्त अनुभव से लाभ उठाते हुए......

श्री रंगा : अविचारित स्वर्ण नियंत्रण आदेश ।

श्री हरि विष्णु कामत: जी हां, अविचारित स्वर्ण नियंत्रण आदेश से..... क्या एक पृथक पूर्वसुविचारित हीरा नियंत्रण आदेश लागू करने का सरकार का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ने बताया तो है कि ऐसे पृथक आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है और उसका सीधा सा कारण यह है कि हीरे का तस्कर व्यापार बहुत ही थोड़ी सीमित मात्रा में होता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु उन्होंने कहा है कि वह बढ़ रहा है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बहुमूल्य वस्तुओं में, जैसे कि हीरों में, तस्कर व्यापार का चलना इस बात का द्योतक है कि अर्थव्यवस्था खराब और सीमित है और यदि, हां, तो रोगा के लक्षण के बजाय स्वयं रोग का ही उपचार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य के इस मत से सहमत नहीं हूं कि यह एक प्रतिकूल किस्म का खराब लक्षण है ।

Shri Kachhavaiya : May I know the number of persons caught for smuggling of gold, the number of those who have been imprisoned and fined and the number of Indian nationals and foreigners among them?

Shri B. R. Bhagat : I can furnish a list if a separate notice is given.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the same persons who carry on smuggling in gold are engaged in smuggling of diamonds also and if so, what action has been taken in this connection?

Shri B. R. Bhagat: It has so far proved difficult to establish this relation.

श्री हेडा: इस बात को देखते हुए कि हम जिन हीरों का आयात करते हैं वह प्राकृतिक और कान्तिविहीन अवस्था में होते हैं और हम उनका परिष्करण करते हैं, उन्हें तराशते हैं और तब उनका निर्यात करते हैं, क्या पुनर्निर्यात की गारन्टी दे कर ऐसे हीरों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री ब० रा० भगत: यह सुविधा दी जा रही है।

Shri R. S. Tiwari: Is there any restriction imposed on the sale of Indian diamonds mined in Panna so that they may not be smuggled?

Shri B. R. Bhagat: This question relates to diamonds being smuggled from other countries and not to those being smuggled to other countries.

श्रीमती सावित्री निगम: इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार ने हाल ही में क्या कदम उठाये हैं और क्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय दल हाल ही में पकड़ा गया है ?

श्री ब० रा० भगत: निगरानी कड़ी कर दी गई है और हम और भी सभी सम्बन्धित कार्यवाहियां कर रहे हैं।

दिल्ली के स्कूलों में दूध के पाउडर का वितरण

*६६२. **श्री रा० बरुआ**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रैड क्रास तथा विभिन्न अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा दिल्ली के स्कूलों में मुफ्त वितरण के लिये दिया गया कई सौ टन दूध का पाउडर दिल्ली के बाजार में खुले आम बेचा जा रहा है;

(ख) क्या दूध के पाउडर के डिब्बे, जिन पर भेजने वाली संस्थाओं ने 'नाट टू बि सोल्ड' ('बिक्री के लिये नहीं') छपवाया हुआ है, दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर थोक में बेचे जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और क्या दूध के पाउडर का दुरुपयोग करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) दूध के पाउडर के खुले आम बेचे जाने का कोई मामला हाल ही में सरकार के ध्यान में नहीं आया है। तथापि, निःशुल्क वितरण के लिये आये हुए दूध के पाउडर को बेचने के चार मामले १९६२ में पकड़े गये थे।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ). उक्त भाग (क) में उल्लिखित चार मामलों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल पूरी हो गई है और इनके बारे में न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं।

श्री रा० बरुग्रा : कितनी मात्रा में दुग्ध-चूर्ण ग्रवांछनीय व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : १९६२ में ग्रस्पताल कल्याण समिति, नई दिल्ली के कुछ समाज सेवकों ने सितम्बर में दिल्ली पुलिस से यह शिकायत की थी कि एक व्यक्ति जिसके पास मोतीलाल नेहरू शिक्षा केन्द्र, दिल्ली के सचिव का ग्रधिकार-पत्र था उन महिलाग्रों से दुग्ध-चूर्ण के ११ डिब्बे (कार्टन्स) ले गया था ग्रौर उन डिब्बों को वापस करने नहीं ग्राया था। जांच करने पर पता चला कि उस नाम की संस्था कल्पित थी तथा उस व्यक्ति ने दुग्ध-चूर्ण का दुरुपयोग किया था। इसलिये जांच पूरी हो जाने के पश्चात् एक मुकदमा चला दिया गया था।

श्री रा० बरुग्रा : क्या देश के ग्रन्य भागों में भी ऐसे मामले हुए हैं ?

डा० सुशीला नायर : इस मामले की जांच के पूरे हो जाने ग्रौर मुकदमा चला देने के पश्चात् हमें कुछ ग्रौर भी शिकायतें इस व्यक्ति 'श्री सरशार' के कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्राप्त हुईं। वह दिल्ली के एक थोक व्यापारी हैं ग्रौर ग्रन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर उसने यह कार्य किये थे। कुल मिलाकर १६ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ग्रौर ग्राठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। बाद में वे जमानत पर रिहा कर दिये गये।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ मामलों में इस दूध की किस्म बहुत ग्रसंतोषजनक पाई गई थी ; यदि हां, तो स्कूल के बच्चों को इसे दिये जाने से पहिले ही इसकी किस्म की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० सुशीला नायर : इस प्रश्न का दूध की किस्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। सामान्यतया दूध ग्रच्छी किस्म का होता है।

Shri Onkar Lal Berwa : How many cartons of milk powder are received every year and are all of them utilised or a certain number out of them remains unutilised?

Dr. Sushila Nayar : Milk powder is mainly received through five institutions, namely, CARE, UNICEF, Some Christian Associations, Catholic charities, Lootheran World Service, etc. I do not have the figures regarding the total quantity of the milk powder received but as far as I know all the milk received by us is utilised, there had been a few cases where it had been lying unutilised for a long period and got spoiled.

श्रीमती ग्रकम्मा देवी : क्या यह सच है कि दुग्ध-चूर्ण स्कूल के बच्चों को चूर्ण के रूप में ही दिया जाता है दुग्ध के रूप में नहीं ग्रौर यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० सुशीला नायर : कुछ मामलों में बच्चे ग्रथवा बच्चे के परिवार को चूर्ण रूप में दूध देने की बात को ग्रधिक संतोषजनक पाया गया है। कुछ स्थानों पर तपेदिक के रोगियों के बच्चों ग्रौर परिवारों को दुग्ध-चूर्ण देने का कार्य हमने ग्रारम्भ किया है ग्रौर ऐसे मामलों में वह दूध चूर्ण के रूप में ही दिया जाता है तरल पदार्थ के रूप में नहीं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्योंकि स्कूल के बच्चों को निःशुल्क वितरित किये जाने के लिये हमें बहुत सी विदेशी संस्थाओं से दुग्ध-चूर्ण मिल रहा है, अतः क्या स्कूलों अथवा अन्य संस्थाओं को वितरण के लिये दिये जाने से पूर्व उसकी उचित परीक्षा कर ली जाती है जिससे कि यह पता चल सके कि वह अच्छी किस्म का है अथवा खराब किस्म का ?

डा० सुशीला नायर : स्कूल के बच्चों में जो दूध वितरित किया जाता है उसे शिक्षा मंत्रालय देता है और प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्रों और अन्य संस्थाओं के लिये हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय दूध देता है । दूध बन्द डिब्बों में आता है और उसकी किस्म के खराब होने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक कि वह बहुत समय उपयोग में न लाये जाने के कारण खराब न हो जाये ।

दिल्ली में बाल पक्षाघात (पोलियो) का इलाज

*६६३. **श्री जेधे** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रूसी डाक्टरों द्वारा काम में लाये गये विशेष इंजैक्शनों से बाल पक्षाघात (पोलियो) रोग के इलाज में कोई सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो कितने रोगियों के इलाज में सफलता मिली है ; और

(ग) इस रोग को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने के लिए सरकार ने क्या निवारक उपाय किये हैं अथवा करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): (क) और (ख). बाल पक्षाघात के लगभग २०० मामलों में इस औषधि का उपयोग किया गया है । बाल-पक्षाघात के मामलों के उपचार में इन इंजैक्शनों के चिकित्सा-विषयक महत्व के सम्बन्ध में इतनी शीघ्र कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

(ग) निम्नलिखित निरोधक उपाय किये गये हैं :—

(१) १९६१–६३ के दौरान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और मैसूर में लगभग २ लाख बच्चों को बाल-पक्षाघात के टीके लगाये गये हैं ।

(२) देश के प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बाल-पक्षाघात निरोधक टीके लगाने के लिये रूस से बाल-पक्षाघात वैक्सीन की ५,००,००० अतिरिक्त खुराकें मंगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(३) 'लाइव पोलियो ओरल वैक्सीन' का निर्माण करने के लिये, पैस्च्यूर इंस्टीट्यूट, कुन्नूर में विशेष प्रयोगशालाओं का डिजाइन तैयार किया गया है तथा निर्माण किया गया है । इस वर्ष के अन्त तक इस वैक्सीन का निर्माण प्रारम्भ हो जाने की आशा है ।

हैफकिन इंस्टीट्यूट, बम्बई में 'लाइव पोलियो वैक्सीन' का निर्माण करने के लिये भी ठोस कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जेधे : बाल-पक्षाघात के लिये विशेष चिकित्सा केन्द्र किन किन स्थानों पर हैं ?

डा० द० स० राजू : ये केन्द्र सारे देश भर में हैं। विशेषरूप से ये बाल अस्पतालों में खोले गये हैं। दिल्ली में कलावती सरन अस्पताल में बाल-पक्षाघात के रोगियों का उपचार किया जाता है।

श्री जेधे : बाल-पक्षाघात के रोगियों की संख्या किस आयु-वर्ग के बच्चों में सबसे अधिक है और क्या २० वर्ष से कम आयु के वर्ग बच्चों का कोई विशेष उपचार किया जाता है ?

डा० द० स० राजू : १ से ५ वर्ष तक की आयु के वर्ग के बच्चों पर इस रोग का प्रहार होता है। उन्हें रोग-निरोधक औषधियां दी जाती हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि हाल ही में यह देखा गया है कि दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्रों में बाल-पक्षाधात के मामलों की संख्या में रोग के संक्रामक रूप में फैलने के कारण वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो सरकार ने क्या विशेष रोग निरोधक कार्यवाही की है ?

डा० द० स० राजू: इस रोग के संक्रमण के कोई समाचार नहीं मिले हैं।

श्री राधेलाल व्यास : क्या यह सच है कि बाल-पक्षाघात का रोग अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और वहां पर भी इस रोग के उपचार के लिये एलोपैथी चिकित्सा में असफलता ही मिली है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि आयुर्वेदिक प्रणाली द्वारा इस रोग का सफल उपचार किया जा सकता है अथवा नहीं ? दिल्ली और जोधपुर की कुछ संस्थाओं में इस सम्बन्ध में अनुसन्धान किये गये हैं, क्या सरकार उनका परीक्षण करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अमेरिका और अन्य विकसित देशों में जहां कि स्वच्छता बहुत ही अधिक है बाल-पक्षाघात के मामले बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। यही कारण है कि निरोधक वैक्सीन खोज निकाली गई है और उस निरोधक वैक्सीन को लगाकर उन देशों ने बाल-पक्षाघात के रोग को समाप्त कर दिया है। जहां तक मुझे ज्ञात है, बाल-पक्षाघात के रोगियों के लिये आयूर्वेदिक पद्धति में कोई उपचार नहीं है . . .

श्री रघुनाथ सिंह : नहीं, नहीं। इसका उपचार है।

डा० सुशीला नायर : परन्तु मैं यह बता दूं कि बाल-पक्षाघात रोग के बहुत से मामलों में जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रोगी बच्चे स्वाभाविक रूप से ही ठीक होते जाते हैं, चाहे आप उन्हें कोई औषधि दें या न दें।

श्री रघुनाथ सिंह : आयुर्वेद में इसे **केवल रोग** कहते हैं।

Shri Kachhavaiya : May I know the main factors responsible for increase in the incidence of this disease and whether Government have tried to take advantage of the cheap treatment, if any, prevalent in some other country ?

Dr. Sushila Nayar : I could not follow the second part of the question.

Mr. Speaker : Hon. Minister may reply to the first part alone.

डा० सुशीला नायर : मैं उसके पहले भाग को भी भूल गई।

अध्यक्ष महोदय : तब, श्री ओंकार लाल बेरवा।

Shri Onkar Lal Berwa : In which country the incidence of this disease is the highest and what is the reason therefor ?

Dr. Sushila Nayar : I have submitted that is attributed to some sort of virus and where general sanitation is not good there is some natural infection of it along with otherthings and natural immunity goes on increasing. Where the sanitary condition are good it puts an end to this natural immunization and polio cases start increasing. They are increasing in India also.

Shri Onkar Lal Berwa : In which States the incidence of this disease is the highest?

Mr. Speaker : But you were asking about the country.

Shri Onkar Lal Berwa : I wanted to know as to in which state the incidence of this disease is the highest.

Dr. Sushila Nayar : According to the reports received by us so far it spread in the form of epidemic in Andhra Pradesh a little in some suburban areas of Delhi as also in Udaipur and Jodhpur are as of Rajasthan.

श्री अ० ना० विद्यालंकार : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि जैसे जैसे स्वच्छता की अधिकाधिक व्यवस्था होती जाती है वैसे ही यह रोग अधिक होता जाता है जब कि आशा यह की जानी चाहिये कि जहां पर स्वच्छता अधिक होती जाये वहां पर यह रोग कम होना चाहिये। क्या केवल अस्वच्छता ही इस रोग का निरोधक उपाय है ?

डा० सुशीला नायर : जी, नहीं। अस्वच्छता से बहुत से खतरे होते हैं। यही कारण है कि बाल-पक्षाघात रोग से बच्चों की मुक्ति के लिये "सैबीन वैक्सीन" तैयार की गई है और उपयोग की गई है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है भारत में लाखों बच्चों के लिये हमने इसका उपयोग किया है और हम बड़ी संख्या में इसका उत्पादन करने का विचार कर रहे हैं जिससे कि हम अपने सभी बच्चों की रोग से रक्षा कर सकें।

भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए मकान

+

*६६४. { श्री प० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन कृषि मजदूरों को मकान बनाने के लिए भूमि देने के प्रश्न को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है ;

(ख) तीसरी योजनावधि में इस योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितने अनुदान की स्वीकृति दी है ; और

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा उन्होंने योजना पर कितना धन व्यय किया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) भूमिहीन कृषि मजदूरों को मकान बनाने के लिये भूमि की व्यवस्था करने वाले कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के हेतु शीघ्र कदम उठाने के लिये राज्य सरकारों से कहा गया है ?

(ख) ग्राम्य आवास परियोजनाओं के लिये तृतीय योजना में १२ करोड़ ७० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। भूमिहीन कृषि मजदूरों को मकान बनाने के लिये भूमि की व्यवस्था करने के संबंध में राज्य सरकारें ग्राम्य आवास परियोजनाओं के अधीन अपने वार्षिक आबंटनों के एक तिहाई भाग के बराबर रुपया व्यय कर सकते हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिये चालू वर्ष में पंचायत समितियो को १ लाख २३ हजार रुपये अनुदान के रूप में आवंटित किये हैं। राजस्थान सरकार भूमिहीन कृषि मजदूरों को राजस्थान भूधृति अधिनियम, १९५५ के अधीन मकान बनाने के लिये निःशुल्क भूमि दे रही है। इसी प्रकार मैसूर सरकार भी ऐसे मजदूरों को दलित वर्ग सुधार निधियों में से मकान बनाने के लिये मुफ्त भूमि दे रही है, क्योंकि उस राज्य में मजदूर लोग आम तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं। आशा है कि इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये केरल सरकार नियमों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे देगी। जहां तक शेष राज्यों का संबंध है वे इस मामले पर अभी तक विचार कर रहे हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तृतीय योजना में इस बात पर जोर दिये जाने के बावजूद भी कि प्रत्येक ग्राम समुदाय द्वारा भूमिहीन लोगों और निर्धन वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिये भूमि अवश्य दी जाये इस संबंध में बहुत कम कार्य किया गया है और यदि हां, तो राज्यों द्वारा बहुत कम कार्य किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : राज्यों द्वारा इस दिशा में जो बहुत कम कार्य किया गया है उसके कारण बताना तो मेरे लिये अत्यन्त कठिन हैं। आवास योजनाओं की प्रगति दो बातों के कारण रुक गई है। पहला कारण है राष्ट्रीय आपात काल. इसमें बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी बात यह है कि मेरे भरसक प्रयत्न करने पर भी और राज्य सरकारों को इस संबंध में लिखने पर भी, उन्होंने स्वयं ही योजना में व्यवस्थित धन को अन्य परियोजनाओं में लगा दिया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार की नीति इन सब आवास योजनाओं को पंचायत समितियों के परामर्श में तैयार करने की है और क्या पंचायतों को भी उन्हीं के द्वारा कार्य निष्पादन संबंधी आदेश दिये जाते हैं और यदि हां तो क्या भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर इस बात के लिये जोर दिया हैं कि वे इस नीति के अनुसार कार्य करें और भूमिहीन लोगों को भूमि देने के इस प्रश्न को प्राथमिकता दें ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह नीति मानी जाती है और हम उस नीति को क्रियान्वित करना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि पंचायतों के साथ भी परामर्श किया जाया करे परन्तु आवास मंत्री को

134 (Ai) LSD—3.

रूप में मैं यह कहने को तैयार हूं कि राज्य सरकारों से इन मामलों में मुझे जो प्रोत्साहन मिला है वह बहुत ही निराशाजनक है और शायद ही मुझे इसके लिये उनसे कोई प्रोत्साहन मिला हो ।

Shri Bibhuti Mishra : The statement shows that :

"जहां तक शेष राज्यों का संबंध है, वे अभी तक इस मामले पर विचार कर रहे हैं :"

Only four states have responded : Andhra Pradesh, Rajasthan, Mysore and Kerala. Keeping this in view that 17 years have passed since we got independence and that our policy is to establish a socialistic pattern of Government, may I know as to what arrangements Government have so far made to get the houses constructed for landless and homeless people by providing land to them.

Shri Mehr Chand Khanna : Construction of houses etc. for settling these people involves and expenditure of crores of rupees, either it may be in cities or in villages. I would be much grateful to the hon. Member if he requests Bihar Government, Government of his own state—to do all this, so that the work may start in that state at least.

श्री जो० ना० हजारिका : १२ करोड़ ७० लाख रुपये के इस धन में से आसाम सरकार को कितना रुपया दिया गया है और आसाम सरकार द्वारा कब इन योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं इस समय तो आंकड़े नहीं बता सकता । परन्तु मंत्रालय का प्रशासकीय प्रतिवेदन एक दो दिन में माननीय सदस्यों को परिचालित कर दिया जायेगा और माननीय सदस्यगण उस प्रतिवेदन में विस्तृत जानकारी पा सकेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की राज्यवार कुल संख्या लगभग कितनी है और यह भी कि इन लोगों के एक एक कामचलाऊ घर बनाने के लिये प्रति व्यक्ति कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरा उत्तर नकारात्मक है । मैं यह सब नहीं जानता। मैं एक संकट-जनक अनुमान नहीं बता सकता ।

श्री इकबाल सिंह : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि चकबन्दी योजना में, विशेषरूप से पंजाब राज्य में, प्रत्येक व्यक्ति के उसके मकान के लिये भूमि दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मकान बनाने के उन्हें ऋण देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware of the fact that no provision has been made in the Consolidation of Holdings Acts in different States to provide land to the landless agricultural labourers or to Harijans? If so, do Government propose to revise these Acts?

Mr. Speaker : This question relates to houses.

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

लिसाडा नाला

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री की सलाह के बावजूद भी पंजाब सरकार ने लिसाड़ा नाले का निर्माण और घग्गर का पानी उसमें डालने को रोकने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि नाले के निर्माण और घग्गर का पानी उसमें डालने से पंजाब का बाढ का पानी राजस्थान में जाने लगेगा और राजस्थान सरकार ने इसी आधार पर भारत सरकार से अभ्यावेदन किया है जिससे कि शीघ्र इसका कोई सर्वसम्मत हल निकाला जा सके ; और

(ग) भारत सरकार ने सर्वसम्मत हल निकालने के लिए यदि कोई कदम उठाये हैं, तो वे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : समस्या का अन्तिम निबटारा होने तक पंजाब सरकार से लिसाड़ा नाले को बनाने न बनाने का अनुरोध किया गया है । पंजाब के मंत्री ने यह इच्छा व्यक्त की है कि निर्माणाधीन बहुत से नालों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि इनके द्वारा घग्गर का बहुत सा पानी यमुना और सतलुज नदियों में चला जायगा । उन्होंने यह भी कहा है कि नाले की संघ मंत्री द्वारा जांच कर लिये जाने के बाद मामले पर अन्तिम निर्णय लिया जाये । तदनुसार मैंने १ मार्च, १९६४ को घग्गर और लिसाड़ा की जांच की थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस महीने के अन्त में राजस्थान और पंजाब के मुख्य मंत्रियों की बैठक स्वीकृत हल निकालने के लिए बुलाई गई है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : संघ सरकार तथा संघ मंत्री के इस समस्या को हल करने के लिए तथा घग्गर जल तथा लिसाड़ा नालों का लाभदायक उपयोग करने के लिए क्या विशिष्ट प्रस्ताव दिये हैं ?

डा० कु० ल० राव : मैं इस समय यह जानकारी नहीं बता सकता हूं । प्रस्ताव दोनों मुख्य मंत्रियों को भेज दिये गये हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वसम्मत समझौता हो जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार सभा में यह बताने की स्थिति में है कि परियोजना अथवा प्रस्तावों पर व्यय के सम्बन्ध में दोनों सरकारों को सुझाव दिया गया है । यह सच है कि इनमें से एक प्रस्ताव घग्गर के पानी का राजस्थान के लाभार्थ उपयोग किये जाने के सम्बन्ध है ?

डा० कु० ल० राव : ऐसा हो सकता है। इस सम्बन्ध में तीन मुख्य बातें हैं: एक राजस्थान के रेतीले ढेरों में घग्गर के पानी को डालना है। दूसरा घग्गर के पानी को राजस्थान नहर में ले जाने का है। तीसरा लिसाड़ा नाले को सतलुज में डालने का है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : दोनों सरकारों के बीच मतभेद की क्या बातें हैं तथा क्या सरकार ने मामले में कोई इकतरफा कार्यवाही की है ?

डा० कु० ल० राव : मतभेद का विषय यह है कि राजस्थान सरकार यह समझती है कि लिसाड़ा के पानी को घग्गर में डालने के कारण घग्गर में पानी बहुत बढ़ जायेगा और घग्गर के पानी की समस्या पहले ही बहुत बढ़ी चढ़ी है। इसलिए अनुरोध किया गया था कि लिसाड़ा नाले को घग्गर में डाल दिया जाये। पंजाब सरकार यह समझती है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था अधिक हो जाने से इस पानी का नहर तथा नाले के द्वारा सिंचाई के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। दोनों सरकारों के ये विचार हैं। इन कठिनाइयों को दूर करके हल निकालने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रश्न यह था कि समझौता न होने पर क्या दोनों सरकारों में से कोई इकतरफा कार्यवाही कर सकती है तथा यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव होगा ?

डा० कु० ल० राव : मैं यह नहीं कहूंगा कि दोनों राज्यों में से किसी ने इकतरफा कार्यवाही कर ली है।

श्री इकबाल सिंह : एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के कारण यह पानी सतलुज नदी में नहीं डाला जा सकता है तथा दूसरी ओर राजस्थान इस पानी को घग्गर में नहीं डालने देता है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री बतायें कि पानी को कहां पर डाला जाये।

डा० कु० ल० राव : हमारे क्षेत्र में सतलुज में पानी डालने की कोई मनाही नहीं है।

Shri Kashi Ram Gupta : May I know, whether Rajasthan Government has informed the Central and Punjab Governments that if they do not stop work on this project there is likelihood of floods affecting a vast area in Rajasthan and many villages will have to be shifted?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान सरकार ने संघ सरकार को इसके बारे में बताया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तीसरी योजना के लिए आवंटन

*६५६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के उत्तर-पूर्वी प्रदेश में नागालैंड, मनीपुर, नेफा और त्रिपुरा क्षेत्रों के लिए तीसरी योजना के चौथे वर्ष में आवंटित की जाने वाली रकम के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टभिरामन) : (क) जी हां ।

(ख) १९६४–६५ के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना काल निम्न है :—

	(रुपये लाखों में)
नागालैण्ड . .	४०४.३२
मनीपुर	४५५.११
नेफा	२४६.३८
त्रिपुरा	५११.१६

नेपाल के साथ व्यापार करार

***६६५. { श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के औद्योगिक विकास के लिए १ करोड़ रुपये का ऋण देने के सम्बन्ध में एक करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण किन शर्तों पर दिया जाना है; और

(ग) यह किस रूप में दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) ऋण का १५ वर्ष में पुनः भुगतान होगा और उस पर ३ प्रतिशत वार्षिक सूद होगा।

(ग) नेपाल के शिष्ट मंडल से बातचीत के बाद शीघ्र ब्योरे बनाये जायेंगे ।

जाली मुद्रा बनाने वाला गिरोह

***६६६. { श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से दिल्ली में जाली मुद्रा बनाने वाला गिरोह काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों से भेजा जाने वाला धन

*६६७. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा मांगे बिना विदेशों को जाने वाले भारतीयों के लिए 'पी' फार्म लागू किये जाने के परिणामस्वरूप भारत को भेजे जाने वाले धन में बहुत कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली नगरपालिका को सरकार द्वारा देय धन

***६६८. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री ७ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका को देय धन के बारे में कोई समझौता हो गया है और मामला तय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समझौता हुआ है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). पहले दिये गये ७५ लाख रुपये के अतिरिक्त मकान कर के उनके दावे के खाते में नई दिल्ली म्यूनिसिपल समिति को ५० लाख रुपया और दिया गया है। किन सिद्धान्तों पर यह भुगतान किया जाना चाहिये इसके सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय विचार कर रहा है। सरकार तथा नई दिल्ली युनिसिपल समिति के बीच हुई कई बैठकों में समिति तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दावों तथा पुनः दावों की जांच की जा रही है।

ब्रह्मपुत्र नदी

*६६९. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में ब्रह्मपुत्र के किनारे पर बंद बनाने के काम में, जो गत मानसून के बाद आरंभ किया गया था, क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इसके आगामी मानसून के आरम्भ होने से पहले पूरा हो जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) दक्षिण किनारे पर बांध बनाने का निम्नलिखित काम आरंभ किया गया है :—

(१) डिब्रूगढ़ डिवीजन के डिब्रूगढ़ से देहिंगमुख (क्रम २)

(२) शिवसागर डिवीजन में डिक्खुमुख से तेलियाडोंगा ।

(३) जोरहाट डिवीजन में नेघेंर्निटिंग से रंगागोरा ।

(४) नवगांव डिवीजन में हेटीमोना से बरघूप ।

(५) नवगांव डिवीजन में ढोंग से हिलोईकुण्डा ।

सभी काम हो रहे हैं और अगले मानसून से पूरे हो जाने की आशा है ।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

*६७०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री कोया :
डा० प० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता चलाया है कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का सोने के मूल्य तथा उसके तस्कर व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई और क़दम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण को स्थाई रखने का विचार है तथा इस कार्य के लिए एक विधेयक पुरस्थापित कर दिया गया है ।

दिल्ली में बिजली का बन्द हो जाना

*६७१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बिजली के बन्द हो जाने के सम्बन्ध में स्थापित तीन समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त सिफारिशों की क्रियान्विति के फलस्वरूप स्थिति में कितना सुधार हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--२५५२/६४**]

डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली

*६७२. **श्री नाथ पाई :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री अल्वारेस :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन प्रतिरक्षा कर्मचारियों के मकान डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में हैं, उनको पूर्व चेतावनी के बिना नोटिस दिये गये हैं कि वे अपने उन बगीचों तथा "लानों" को नष्ट कर दें जो उन्होंने अपने मकानों के सामने की सरकारी भूमि को सुन्दर बनाने के लिए काफी धन खर्च करके बनाये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूदृश्य समिति तथा नई दिल्ली नगरपालिका ने सिफारिश की है कि इन बगीचों तथा झाड़ियों को ज्यू का त्यूं रहने दिया जाये क्योंकि प्रतिरक्षा कर्मचारियों को उनकी देश के प्रति सेना सेवा के लिए यह रियायत देना ठीक ही है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी "सीवेज लाइन" इसी भाग से हो कर गुजरती है और अगर यह बगीचे आदि नहीं रहने दिये गये तो इस भूमि पर लावारिस पशु घूमने लगेंगे तथा यहां पर रहने वाले झोंपड़ी तथा गन्दी बस्ती वाले लोग गन्दगी, आदि करेंगे ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) प्रतिरक्षा कर्मचारियों को ही नहीं अपितु अन्य लोगों को भी सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने के नोटिस दिये गये हैं।

(ख) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बारे में उद्यान समिति ने कोई जिक्र नहीं किया है। उसने तो एक सामान्य सिफारिश की है कुछ कर लगा दिया जाना चाहिये।

(ग) बाढ़ के पानी की नाली तथा पहले दिये गये प्लाटों की सीमा के बीच ६० फुट की भूमि की पट्टी है। क्योंकि भूमिगत सीवर लाइन इसके नीचे से गुजरती है इसलिए इसके ऊपर मकान नहीं बनाये जा सकते हैं। सामान्यत: ऐसी भूमि पाको की देखभाल करने वाली स्थानीय संस्था को आवंटित की जाती है।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई योजनाएं

१२९८. श्री इ० मधसूदन राव : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी योजना अवधियों में सिंचाई योजनाओं के लिये आंध्र प्रदेश राज्य को केन्द्र द्वारा कितनी राशि दी गई ; और

(ख) उन सिंचाई योजनाओं पर राज्य ने वास्तव में कितनी राशि व्यय की ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आंध्र प्रदेश में बकाया आयकर

१२९९. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में आंध्र प्रदेश में आय कर की कुल कितनी बकाया राशि वसूल की गई ; और

(ख) अभी भी कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) १-४-१९६३ से ३१-१२-१९६३ तक के समय में आंध्र प्रदेश में बकाया राशि में से ९६,५८ हजार रु० वसूल किये गये ।

(ख) ३१-१२-१९६३ को आंध्र प्रदेश में आय कर की बकाया राशि ४,९६,८४ हजार रु० थी ।

उड़ीसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

१३००. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहे थे ; और

(ख) १९६४-६५ में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का विचार है, तथा उस प्रयोजन के लिये उस काल में कितनी राशि आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) १४२

(ख) १९६४-६५ में राज्य में ५८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है । प्रत्येक राज्य १ खंड के योजना बद्ध आय-व्ययक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिये ४०,००० रु० की व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य की स्वास्थ्य योजना में प्रयोजन के लिये १७.४८ लाख रु० की राशि आवंटित की गई है ।

उड़ीसा में ग्रामीण आवास योजनाएं

१३०१. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३-६४ में उड़ीसा को ग्रामीण आवास योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ; और

(ख) क्या इस धन को पूरा पूरा ख़र्च किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण आवास परियोजना योजना के लिये उड़ीसा का कुल परिव्यय ६.२५ लाख रुपये है जिसमें ५.९० लाख केन्द्रीय सहायता है और ३५ हजार रुपये ग्रामीण आवास सेल पर व्यय का राज्य का अपना अंश है ।

(ख) राज्य सरकार का अनुमान है कि इस पर कुल ६.१९ लाख रुपये व्यय होंगे ।

उड़ीसा में प्रमुख सिंचाई योजनाएं

१३०२. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल राज्य की प्रमुख सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के उड़ीसा सरकार द्वारा मांगी गयी धनराशि मंजूर कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) विशिष्टत: क्रियान्वित की जा रही प्रमुख अथवा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती । स्वीकृत विभिन्न विकास योजनाओं के लिये, जिनके बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं, इकट्ठी सहायता दी जाती है । तीसरी योजना के पहले ३ वर्षों में विभिन्न विकास योजनाओं के लिये कुल लगभग ३,२७१ लाख रुपये दिये गये ।

उड़ीसा में पीने के पानी का संभरण

१३०३. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६३-६४ में उड़ीसा सरकार को स्वच्छ जल संभरण (ग्रामीण तथा नगरीय) के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ; और

(ख) क्या राज्य में हैजे के अधिक मामलों को देखते हुए इस सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) वर्ष १६६३–६४ में उड़ीसा सरकार को राज्य योजना में सम्मिलित स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत सभी योजनाओं के लिये, जिनमें राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्रामीण जल संभरण योजनाएं शामिल हैं, १०१.७० लाख रुपये सहाय्य अनुदान के रूप में आवंटित किये गये हैं। ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिये अलग से आंकड़े बताना संभव नहीं है क्योंकि राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार निधि का आवंटन योजनावार नहीं किया जाता है बल्कि धन बड़े वर्गों अथवा कई योजनाओं के लिये मंजूर किया जाता है।

वर्ष १६६३–६४ में राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय) के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को जल संभरण तथा जल-निस्सारण योजनाओं के लिये ३० लाख रुपये आवंटित किये गये हैं।

राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों को निधि मासिक आधार पर नौ समान मासिक किश्तों में वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इकट्ठी मार्गोपाय अग्रिम राशि के रूप में दी जा रही है। मार्गोपाय अग्रिम राशि के समायोजन के लिये अन्तिम भुगतान की मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं।

सिक्युरिटी प्रेस, नासिक

१३०४. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक में इस्तेमाल किया जा रहा समूचा कागज आयातित है ;

(ख) यदि हां, तो हर वर्ष कुल कितना व्यय होता है ; और

(ग) क्या इस कागज को देश में बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो कब से ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) करेंसी नोटों और बैंक नोटों के छापने के लिये सारा आयातित कागज इस्तेमाल होता है जबकि टिकट और अन्य कागज के लिये कुछ आयातित कागज इस्तेमाल होता है और कुछ देशी।

(ख) पिछले छः वर्षों में देशी कागज पर औसतन प्रति वर्ष ११४ लाख रुपये खर्च हुए हैं जबकि आयातित कागज पर हर वर्ष २२४ लाख रुपये व्यय हुए हैं (१४५ लाख विदेशी मुद्रा में और ७६ लाख रुपयों में)।

(ग) जी, हां। प्रथमतः करेंसी और बैंक नोट कागज तैयार करने के लिये होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) में एक सिक्यूरिटी कागज़ मिल स्थापित की जा रही है और बाद इसमें अन्य किस्म के सिक्यूरिटी कागज का भी उत्पादन किया जायेगा। इस मिल के वर्ष १६६५ के मध्य तक चालू हो जाने की आशा है।

हठ योग

१३०५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हठ योग के, निरोधात्मक और उपचारात्मक गुणों के साथ, मानसिक-शारीरिक प्रभाव का क्रमबद्ध अध्ययन किया गया है अथवा किया जायेगा ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये किसी संगठन अथवा संस्था की स्थापना की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) भारत सरकार का हठ योग के चिकित्सीय महत्व पर अनुसंधान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, कैवल्यधाम योग संस्था, लेनावला में इस योग के मनोवैज्ञानिक-चेता और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है । मानसिक-शारीरिक प्रकार के रोगों में योग के चिकित्सीय महत्व का भी निम्नलिखित तीन केन्द्रों में वैज्ञानिक मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है :

(१) आई० सी० वाई० स्वास्थ्य केन्द्र, कैवल्यधाम, ४३ नेताजी सुभाष रोड, बम्बई ।

(२) योग संस्था, सांता क्रूज, बम्बई

(३) योग प्रसार समिति, मन्दिर लेन, नई दिल्ली ।

आसाम में ग्राम्य विद्युतीकरण

१३०६. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि में आसाम को राज्य में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये यदि कोई केन्द्रीय सहायता दी गयी है, तो उसकी धनराशि कितनी है ;

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति की गयी है और इस योजना में क्या लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगे ; और

(ग) क्या आसाम को कृषि में बिजली के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिये और इस प्रयोजन के लिये विद्युत् संभरण में राज-सहायता देने के लिये कोई विशेष सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ६·८० लाख रुपये ।

(ख) तीसरी योजना में राज्य सरकार ने १७८ कस्बों और गांवों में बिजली लगाने का लक्ष्य बनाया था । इसमें से ३१ जनवरी, १९६४ तक ५६ कस्बों और गांवों में बिजली लगायी गयी ।

(ग) जी नहीं ।

American Cardiology Experts

1307. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that American cardiology experts visited Delhi in January, 1964 for giving lectures on heart surgery and on various modern advancements made in the field of cardiology ; and

(b) if so, the manner in which our doctors increased their knowledge by their visit ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) These experts gave lectures and demonstrations in three medical institutions in Delhi *viz.* Lady Hardinge Medical College, Maulana Azad Medical College and the All India Institute of Medical Sciences, and also to the Delhi Medical Association. Many doctors and specialists not only from Delhi, but also from neighbouring places like Chandigarh, Amritsar, Meerut and Ludhiana attended the lectures in good numbers. The effect of the visit of this team was stimulation of interest in all aspects of heart diseases—medical and surgical and a better appreciation of new developments in the field by personal discussion.

Water supply in Delhi

1308. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the daily requirement of drinking water in Delhi and New Delhi and the quantity of water supplied daily ;

(b) whether it is a fact that in several Government colonies such as Sarojini Nagar, Ramakrishnapuram water is supplied only for eight to nine hours in a day and if so, the steps being taken to remove this inconvenience, and

(c) whether Government propose to instal another water pump to overcome the shortage of water and if so when ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The daily requirement of drinking water in Delhi and New Delhi varies according to season and may go upto about 130 million gallons in the summer. The quantity of water supplied is about 97 million gallons per day which goes upto 100 million gallons per day during summer months when the Chandrawal plant is overloaded to some extent.

(b) & (c) Yes, in some colonies water supply is intermittent and is available for 8 to 12 hours only. To overcome this difficulty, additional sources of water are being tapped and projects for treatment, transmission, storage and distribution of water are under execution and are likely to be completed by the end of the current year.

A 40 M.G.D. capacity water plant is under construction at Wazirabad and is likely to be completed by December, 1964.

'माइक्रो-हाइडल सेट'

१३०९. श्री यशपाल सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली पैदा करने के लिये 'माइक्रो-हाइडल सेट' स्थापित करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) अब तक स्थापित किये गये सेटों की क्या संख्या है; और

(ग) इस बारे में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बिजली बनाने के लिये माइक्रो-हाइडल सेटों की स्थापना के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) (१) हिमाचल प्रदेश में १७ किलोवाट का एक यूनिट और प्रत्येक २५० किलोवाट के २ यूनिट

(२) पंजाब में प्रत्येक ५० किलोवाट के २ यूनिट ।

(३) पश्चिम बंगाल में ३५० किलोवाट का एक यूनिट ।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कुल १४३५ किलोवाट क्षमता ८ की योजनायें, जम्मू तथा काश्मीर में ६६० किलोवाट की २ योजनायें और हिमाचल प्रदेश में २००० किलोवाट की अतिरिक्त क्षमता के विस्तार की योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये योजनाऐं और पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, प्रगति संतोष-जनक है ।

कोपिली जल-विद्युत् परियोजना

१३१०. { श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २८ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोपिली जल-विद्युत् परियोज़ना के सम्बन्ध में निर्माण-पूर्वजांच पड़ताल और विशेष बातों का अध्ययन तब से पूरा हो गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ख) परियोजना को अंतिम रूप देने में क्या प्रगति है की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). निर्माण-पूर्व पड़ताल और अध्ययन अभी किये जा रहे हैं ; इनके पूरा होने के बाद ही परियोजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है ।

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण

१३११. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वर्ष १६६४-६५ में राज्य में बाढ़-नियंत्रण उपायों के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने वर्ष १६६४-६५ में अपनी बाढ़-नियंत्रण योजनाओं के लिये २६३ लाख रुपये मांगे हैं। वर्ष १६६४-६५ के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में फैसला करते समय उस को ध्यान में रखा गया है ।

कानपुर में क्षय रोग अस्पताल

१३१२. श्री स० मो० बनर्जी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में क्षय रोग वृद्धि पर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने कानपुर में एक क्षय रोग अस्पताल की स्थापना के लिये राज्य सरकार को किसी वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) कानपुर में क्षय रोग के मामलों के बारे मे सामुथिक सर्वेक्षण के अभाव में अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को क्षय-रोग अस्पतालों की स्थापना के लिये कोई सहायता नहीं देती यद्यपि क्षय रोग सजालयों और पृथक शैयाओं की स्थापना के लिये सहायता दी जाती है ।

चमड़े की वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क

१३१३. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक २६ जनवरी, १६६४ के 'इण्डियन एक्सप्रेस' (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि कानपुर के विभिन्न चमड़ा एकक लगभग. ३ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का उत्पादन-शुल्क बचाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस अपवंचन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या अपवंचन की रकम का मूल्यांकन करने के लिये कोई जांच की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). संसद् द्वारा वर्ष १६५५ में पारित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क की इस मद के अन्दर उस कारखाने में जिस में ५० से कम श्रमिक काम करते हों अथवा २ हार्स पावर से कम बिजली से काम होता हो, निर्मित जूतों पर उत्पादन-शुल्क नहीं लगता । अतः अपवंचन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चिनानी विद्युत् योजना

१३१४. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर सरकार की चिनानी विद्युत् योजना का संघ सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ होगी ; और

(ग) योजना की कुल लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) कार्य आरम्भ हो चुका है और इसके वर्ष १९६६-६७ में पूरा होने की आशा है ।

(ग) परियोजना की कुल अनुमानित लागत २८०·३८ लाख रुपये है ।

उर्वरक उद्योग में विनियोजन

१३१५. **श्री शशिरंजन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी योजना की बाकी अवधि में उर्वरक उद्योग में विनियोजित की जाने वाली पूंजी की प्रतिशतता क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सरकारी क्षेत्र में बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों में कुल विनियोजन की तुलना में तीसरी योजना के अंतिम दो वर्षों में उर्वरक उद्योग में प्रत्याशित विनियोजन का अनुमान १०-१२ प्रतिशत है । इस मसय गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विनियोजन का पहले से हिसाब लगाना कठिन है, परन्तु यह आशा की जाती है कि आन्ध्र प्रदेश में जिन दो बड़े संयंत्रों को लाइसेंस दिये गये हैं, उन में काफी प्रगति होगी ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर

१३१६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के और जीवन बीमा निगम के ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर में अंश हैं ;

(ख) यदि हां, तो अंशों की कुल संख्या क्या है और इनकी कीमत क्या है ;

(ग) सरकार और जीवन बीमा निगम की ओर से बोर्ड के डायरेक्टरों की क्या संख्या है ;

(घ) क्या बोर्ड में अल्पसंख्यक अंशधारियों का भी कोई प्रतिनिधि है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार और जीवन बीमा निगम ने ५ रुपये वाले क्रमशः १४,६१,७५६ और १०,८१,००१ समान अंश ले रखे हैं। यह कुल मिला कर कारपोरेशन के समूचे समान अंशों का लगभग ३९ प्रतिशत बैठता है । इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम ने १५,२८५ प्राथमिकता अंश ले रखे हैं।

(ग) से (ङ). माननीय सदस्य का ध्यान ११ जून, १९६२ को लोक-सभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २९०८ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है । तदनुसार अक्तूबर, १९६२ में एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया जिस में सरकार द्वारा सहमत सूची के अनुसार डायरेक्टरों का चुनाव हुआ । बोर्ड में केन्द्रीय सरकार अथवा जीवन बीमा निगम अथवा किसी अल्पसंख्यक हितों के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं।

इस समय बोर्ड का गठन निम्न प्रकार है :—

१. श्री सतीश चन्द्र—अध्यक्ष

२. श्री बी० पी० बजोरिया

३. श्री डी० पी० गोयनका

४. श्री के० एन० मुकर्जी

५. श्री श्रीप्रकाश

६. श्री एस० बी० बोस

७. महाराजकुमार डा० विजय आनन्द आफ विजियानगरम, संसद्-सदस्य ।

दामोदर घाटी निगम नहर

१३१७. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषतः कोयला उत्पादक क्षेत्र—झरिया और रानीगंज में ग्रांड ट्रंक रोड पर बढ़ता हुआ वाणिज्यिक और मोटरगाड़ियों का यातायात कठिनाई से गुजरता है ;

(ख) क्या कलकत्ता को दुर्गापुर मिलाने वाली दामोदर घाटी निगम नहर द्वारा इस सड़क पर से २० लाख टन माल का परिवहन, विशेषतः कोयला, संभालने की आशा है;

(ग) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम से यातायात पर यथासंभव व्यवहार्य प्रतिबन्धों में ढील देने और परिवहन शुल्क काफी कम करने को कहा है ; और

(घ) क्या सरकार ने नहर को चालू रखने के लिये दामोदर घाटी निगम को एक ग्रैब ड्रेजर का सम्भरण करने की व्यवस्था की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) दामोदर घाटी निगम नहर में अभी तक कोई अधिक वाणिज्यिक यातायात नहीं हुआ है । अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि यह नहर किस हद तक ग्रांड ट्रंक रोड पर यातायात की भीड़ को कम कर सकेगी ।

134 (ai) LSD—4.

(ग) नहर में यातायात के लिये दामोदर घाटी निगम ने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये हैं। नहर में वाणिज्यिक यातायात के विकास की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है जिन्होंने इस कार्य के लिये एक नदी परिवहन बोर्ड बनाया है । वाणिज्यिक कार्यों के लिये परिवहन शुल्क और अन्य शर्तों का निर्धारण यह बार्ड करेगा ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने कुन्टी नदी को गहरा करने के लिये दामोदर घाटी निगम को एक ग्रैब ड्रेजर संभरित करने की व्यवस्था की है ।

पंजाब में चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण

१३१८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार को वर्ष १९६४–६५ में केन्द्रीय घोषित योजनाओं के लिये "चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर्गत कोई अनुदान अथवा ऋण मंजूर किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया है । निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य सरकारों को पात्र योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता वर्ष के दौरान मार्गोपाय पेशगी के रूप में दी जाती है और मंजूरी केवल वर्ष के अन्त में ही दी जाती है ।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

१३१९. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री कोया :
डा० प० श्रीनिवासन :
श्री परमशिवन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश के फलस्वरूप अंशतः या पूर्णतः बेरोजगार हुए स्वर्णकारों की क्या संख्या है; और

(ख) उसको क्या सहायता दी गयी है और वर्ष १९६४–६५ के लिये क्या कार्यक्रम है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) पुनर्वास योजना में बच्चों के लिये शिक्षण सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं, वैकल्पिक रोजगार में प्राथमिकता, कृषि के लिये भूमि देने और उद्योग अथवा अन्य उत्पादक व्यवसायों में पुनर्वास के लिये ऋण देने का उपबन्ध है । केन्द्रीय सरकार खर्च करने को सहमत हो गयी है । वर्ष १९६३–६४ में इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को ऋण के रूप में ३.७८ करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं । अनुदान और ऋण के रूप में अपेक्षित निधि वर्ष १९६४–६५ में भी दी जायेगी ।

Smallpox and Cholera in Punjab

1320. **Shri Daljit Singh** : Will the Minister of **Health** be pleased to state the extent and nature of assistance given by the Central Government to the Government of Punjab during 1964-65 for the prevention of Smallpox and Cholera ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) :

SMALLPOX

In accordance with the pattern of Central assistance laid down for the National Smallpox Eradication Programme, 75 per cent of the recurring and 100 per cent of the non-recurring expenditure are re-imbursed to the State Governments by the Government of India.

The amount recommended by the Working Group for 1964-65 for the Government of Punjab was Rs. 8·50 lakhs and all the expenditure to be incurred on this programme during 1964-65 being of recurring nature, the maximum amount of Central assistance which the Government of Punjab would be eligible to claim will be Rs. 6·375 lakhs.

According to the existing procedure, allotment of funds is not made scheme-wise but the grant-in-aid is sanctioned at the end of each year for broad groups or categories of schemes. Three-fourth of the total Central assistance allocated for a financial year is, however, released in lumpsum ways and means advances to the State Governments during the course of the year. The allocations to various States for 1964-65 in respect of the Centrally aided schemes including the 'Eradication of Smallpox' have not yet been finalised.

In addition to the above financial assistance, freeze dried smallpox vaccine received from the Government of U.S.S.R. for use in the National Smallpox Eradication Programme has been supplied free of cost to the Government of Punjab.

CHOLERA

No central assistance is being given during the Third Five Year Plan period for the control or eradication of Cholera, though assiatance is given for rural and urban Water Supply Schemes which help in combating cholera and other similar infections.

अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली

१३२१. { श्री काशी राम गुप्त :
श्री बड़े :
श्री लहरी सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इस समय अखिल भारत चिकित्सा विज्ञान संस्था में प्रतिनियुक्ति पर पदाधिकारियों और अनुसचिवीय कर्मचारियों की क्या संख्या है;

(ख) वे कितने समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति संस्था में तीन वर्षों से अधिक नहीं रह सकता ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) ४० ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें हर मामले में प्रतिनियुक्ति की अवधि बतायी गयी है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—२५५३/६४ ।]

(ग) इस संस्था में ऐसा कोई नियम नहीं है।

दामोदर घाटी निगम

१३२२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम को किस दर पर बिजली का संभरण कर रहा है !

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३ और १९६३-६४ में दामोदर घाटी निगम द्वारा ३.८९ नये पैसे से लेकर ४.११ नये पैसे प्रति किलोवाट तक की दर से, इसमें कोयले की लागत पर सरचार्ज भी शामिल है, बिजली बेची गयी ।

दिल्ली के अस्पतालों से बच्चों का अपहरण

१३२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले तीन महीनों में दिल्ली के अस्पतालों के प्रसूति वार्डों में से कितने बच्चों का अपहरण किया गया; और

(ख) उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) अस्पताल के अधिकारियों ने प्रसूति विभाग में आने वाले दर्शकों की संख्या सीमित करने के आदेश जारी कर दिये हैं और वाच एण्ड वार्ड को अधिक कड़ा कर दिया गया है। प्रसूति के बाद स्नान करा कर बच्चों की पीठ, हाथ और पांव पर निशान लगाये जाते हैं और बच्चों को माता के पलंग में लगे पालगों में रखा जाता है।

रॉकफेलर प्रतिष्ठान अनुदान

१३२४. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रॉकफेलर प्रतिष्ठान ने वर्ष, १९६४ में चिकित्सा और प्राकृतिक विज्ञान में भारतीय सहकारी कार्यक्रमों के लिये निधि आवंटित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो रॉकफेलर प्रतिष्ठान ने कुल कितने धन का विनियोग किया है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) रॉकफेलर प्रतिष्ठान ने कुल १७०,४६० डालर का विनियोग किया है।

Medical treatment of blind persons in Delhi

1325. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have made arrangements for free medical treatment of the blind persons suffering from ailments other than the disability of blindness in Delhi ; and

(b) if so, the basis of the arrangements ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). No special arrangements have been made for the treatment of blind persons in Delhi for diseases other than disability of blindness. Facilities for such treatment are available in all public hospitals and dispensaries for the public including the blind.

मद्रास में कुण्डा विद्युत् परियोजना

१३२६. **श्री सं० ब० पाटिल :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में कुन्डा विद्युत् परियोजना पर कुल व्यय कनाडा सरकार करेगी;

(ख) अन्य ऐसी ही विद्युत् परियोजनाएं कौनसी हैं और वे किन राज्यों में हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में इन परियोजनाओं को स्थापित करने की क्या कसौटी है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। सामग्री और उपकरण आदि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत को अनुदान के रूप में प्राप्त हुए है।

(ख) कनाडा के अनुदान से चल रही परियोजनायें ये हैं;

(१) पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी जलाशय परियोजना।

(२) आसाम में उमत्रू जल-विद्युत् परियोजना।

(ग) सामान्यतः स्वीकृत जल-विद्युत योजनाऐं, जिनके लिये संयंत्र और उपकरण आदि कनाडा से सस्ते मिल सकते हैं कनाडा की सहायता के लिये होती हैं। कनाडा की सहायता पर किसी विशेष योजना का अन्तिम रूप से चयन कनाडा सरकार द्वारा ही किया जाता है।

पंजाब में सम्पदा शुल्क का निर्धारण

१३२७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाले अन्तिम पांच वर्षों में पंजाब में सम्पदा शुल्क का कुल कितना निर्धारण हुआ; और

(ख) इस अवधि में कितनी वसूली की गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है;

(आंकड़े हजार रुपयों में)
समाप्त होने वाले वर्ष

	३१-१२-५९	३१-१२-६०	३१-१२-६१	३१-१२-६२	३१-१२-६३
(क) सम्पदा शुल्क जितने की कुल मांग की गयी	४६८	८१७	७४३	२०१३	१५६९
(ख) सम्पदा शुल्क की वसूल की गयी राशि	३०९	४३१	४०४	६००	५८८

जीवन बीमा निगम

१३२८. **डा० मा० श्री० अणे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन बीमा निगम के उन यूनिटों की क्या संख्या है जिनके बारे में निगम द्वारा जून, १९५९ में घोषित लाभांश अनुक्रमाणिका की अस्थायी योजना के अनुसार लाभांश की दर १४ अक्तूबर १९६१ को भारत के गजट में प्रकाशित लाभांश की दरों से कम है;

(ख) उपरोक्त यनिटों में उन पालिसी होल्डरों की क्या संख्या है जिनको उनके अपने यूनिटों के लिये अवकलन लाभांश[1] (डिफ्रेन्शियल बोनस) की अस्थायी दर के अनुसार लाभांश दिया जा रहा है अथवा दिया जायेगा ;

(ग) जीवन बीमा निगम के उन यूनिटों की क्या संख्या है जिनके मामले में लाभांश अनुक्रमणिका की अस्थायी योजना के अनुसार लाभांश की दर लाभांश अनुक्रमणिका की अन्तिम योजना के अनुसार लाभांश की दर उसी अन्तर्मूल्यांकन अवधि के लिये अधिक रही; और

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में निर्दिष्ट यूनिटों के उन पालिसी होल्डरों की क्या संख्या है जिनको उनके अपने यूनिटों के लिये अवकलन-लाभांश की अस्थायी दर के अनुसार लाभांश दिया जा रहा है अथवा दिया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). १६१ यूनिटों के बारे में अक्तूबर, १९६१ में घोषित अन्तिम लाभांश की दर (मई, १९५९ में घोषित अन्तरिम लाभांश की अपेक्षा) अधिक रही जब कि निगम के २६ यूनिटों के बारे में अन्तिम लाभांश की दर कम रही ?

भाग (ख) और (घ) में निर्दिष्ट पालिसी होल्डलरों की संख्या के बारे में ठीक जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है लेकिन लाभांश के लिये पात्र पालिसी होल्डरों की कुल संख्या के अनुपात में यह संख्या काफी अधिक नहीं हो सकती।

अंश पूंजी में विदेशी सहयोग

१३२९. { **श्री इम्बीचिबावा :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सम पूंजी में विदेशी सहयोग के बारे में सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में उनमें विदेशी अंश की कुल प्रतिशतता क्या रही ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां। भारत के रिजर्व बैंक ने जून, १९४८ के अन्त में और १९५३ और १९५५ के अन्त में भारत के विदेशी दायित्वों और आस्तियों का तीन बार सर्वेक्षण किया। आज कल वे एक और सर्वेक्षण कर रहे हैं जिनके परिणाम शीघ्र ही ज्ञात होंगे। इस सर्वेक्षण से वर्ष १९६१ के अन्त में भारत में विदेशी विनियोजन के बारे में आंकड़े पता लगेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्ष १९५६ से अपने मासिक बुलेटिनों में भारत में विदेशी विनियोजन का वार्षिक मूल्यांकन भी किया है।

[1]Differential Boneses.

(ख) क्योंकि इन आंकड़ों के संकलन में काफी समय लगता है, वर्ष १९६१, १९६२ और १९६३ के वर्षों के लिये जानकारी उपलब्ध नहीं है। वर्ष १९६० के अन्त में गैर-सरकारी व्यापार में विदेशी विनियोजन निगमित गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल प्राक्कलित पूंजी का लगभग २७ प्रतिशत रहा।

राजस्थान नहर

१३३०. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्य **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य राजस्थान नहर को नौगम्य बनाने के प्रस्ताव पर विचार किर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

Gazette of India in Hindi

1331 { **Shri Mohan Swarup :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Rehabilitation** be pleased to state :

(*a*) whether the Government of India Press are fully equipped to publish the material of parts II and III of the Gazette of India in Hindi ; and

(*b*) if not, the nature of deficiency and how many months it would take to remove the same ?

The Minister of Works,—Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Part II . . . . No.
Part III . . . . Yes.

(b) Part II of the Gazette is printed in English at the Government of India Press, Minto Road, New Delhi. Additional Hindi composing equipment and printing machines and extra accommodation would have to be provided before this press could undertake to print Part II of the Gazette in Hindi, in addition to English. This Press is, however, already overcongested and there is no possibility of expanding it further. The situation will improve only when the new Press proposed for construction on the Ring Road has been established. This is likely to take 2-3 years.

सिंचाई क्षमता

१३३२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ तथा १९६३:–६४ में भारत की सिंचाई क्षमता कितनी थी ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में इसका कितना उपयोग नहीं किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी की सूची नीचे दी जाती है।

(लाखों में कुल––एकड़)

	नहरी क्षमता	उपयोग की गई
१९६२–६३ . . . . (अनुमानित)	१४२.७	१०६.८
१९६३–६४ . . . . . (पूर्वानुमानित)	१६३.४	१३०.८

राजस्थान में सिंचाई और विद्युत योजनायें

**१३३३. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार की कितनी सिंचाई और विद्युत योजनायें स्वीकृति के लिए लम्बित हैं और इन योजनाओं पर कितना धन व्यय होगा और कितने लाभ होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०––२५५४/६४।]**

राजस्थान में ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें

**१३३४. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितनी ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें चालू हैं ; और

(ख) ३१ जनवरी, १९६४ के अन्त तक इस कार्य के लिये उस राज्य को केन्द्र द्वारा कितना धन दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राजस्थान राज्य सरकार के लिये ये परियोजनायें आवंटित है जो चालू हैं।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में जो परियोजनाओं के लिए १९६२–६३ में २५,००० रुपये तथा १९६३–६४ में ३.०० लाख रुपये आवंटित कर दिए थे।

बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण

१३३५. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद ने बिहार का क्या कोई तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करा लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) उपपत्तियां राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र परिषद के प्रकाशन 'टैक्नो-इकानामिक सर्वे आफ बिहार' में प्रकाशित हैं जो लोक-सभा पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

Fourth Plan

1336. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. R. Chakraverti :

Will the Minister of Planning be pleased to state.

(a) the number of study teams set up for the Fourth Five Year Plan so far ;

(b) the names of their members and chairmen ; and

(c) the study teams that are proposed to be set up?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See L.T. No.* 2555/64]

आगरा में कुष्ठ रोगियों के लिए अस्पताल

१३३७. **श्री दी चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी कुष्ठरोग मिशन के सहयोग से आगरा में कुष्ठरोगियों के लिए अस्पताल बनाने के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). १५ दिसम्बर, १९६३ को प्रधान मंत्री ने एशिया के लिये अपनी जापानी कुष्ठरोग मिशन द्वारा आगरा में बनाये जाने

वाले कुष्ठ रोग अस्पताल का शिलान्यास किया था। अस्पताल के लिए जाने वाली एक सड़क बनाई गई है तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थान पर विद्युत और जल की व्यवस्था की जा रही है। मिशन भवन के नक्शे तथा अनुमान बनाये जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण जल संभरण योजनायें

१३३८. श्री लक्ष्मीदास : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य की १९६४–६५ की ग्रामीण जल संभरण योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन का आवटन करे ;

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त धनराशि मांगी गई है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से योजना आयोग को अनुरोध मिला है कि स्थानीय विकास कार्यों के कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण जल सभरण योजनाओं के लिए १९६४–६५ में १.५० करोड़ रुपये का आवटन किया जाये।

(ग) योजना आयोग मामले पर विचार कर रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जम्मू तथा काश्मीर में हाल ही में हुए विस्फोट

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री रा० बरूआ (जोरहाट) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हू और उन से अनुरोध करता हू कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "जम्मू तथा काश्मीर राज्य में, विशेषतया बेतार बांध, पुन्छ, पर स्थित उपायुक्त के कार्यालय में हाल ही में हुए विस्फोट।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) १३/१४ मार्च की रात को पुन्छ किले के पीछे एक पैदल पथ के पास एक विस्फोट हुआ। उस के पश्चात कुछ ही फासले पर एक अन्य विस्फोट हुआ जिस के कारण उपायुक्त के कार्यालय की खिड़कियों के शीशे टूट गये। १४ मार्च, सुबह के समय, उपायुक्त कार्यालय की दीवार के निकट एक बम्ब पाया गया। सेना विशेषज्ञों के पहुचने से पूर्व ही वह बम्ब फट गया और कार्यालय की दीवार तथा शीशों को कुछ क्षति पहुची। यह स्थान युद्ध-विराम रेखा से ४ मील के फासले पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इन घटनाओं की जांच हो रही है और इस संबंध में दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने बताया है कि बेतार के जल निकास को क्षति पहुचाने सबधी कोई घटना नहीं हुई।

श्री रा० बरूआ : मैं जानना चाहता हू कि पहले बम के फटने के पश्चात भी अन्य बमों संबंधी जानकारी तब तक क्यों प्राप्त नहीं की जा सकी जब तक कि फट नहीं गये ?

श्री हाथी तीसरे बम का तो पता लग गया था परन्तु पहले दो बमों का पता नहीं लग सका।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशगाबाद) : क्या यह तोड़-फोड़ की एवं ध्वंसात्मक कार्यवाहियां अंशतः इस कारण हो रही हैं कि काश्मीर के भविष्य के बारे में अनिश्चितता पाई जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार काश्मीर को भारत के साथ पूर्णतया मिलाकर उस अनिश्चितता को दूर करने और स्थिति में सुधार करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक नीति संबंधी प्रश्न है जिसक विस्फोटकों से संबंध नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : कल आपने एक नीति संबंधी प्रश्न के लिये अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है मैंने गलती की हो। परन्तु मैं एक गलती को दोहराना नहीं चाहता। माननीय सदस्य विस्फोट संबंधी प्रश्न पूछें।

बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) मैं नहीं समझता कि इन विस्फोटों के कारण वह हैं जिन की चर्चा माननीय सदस्य ने की है। जहां तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य को पूर्णतः भारत से मिलाने का संबंध है, इस बारे में कोई मतभेद नही पाया जाता। परन्तु हम देख रहे हैं कि नई सरकार इस विषय में किस प्रकार कार्यवाही करना चाहती है।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : In view of the fact that attempts were made before also to damage the Betar Dam, have the Government made any arrangement to protect the Dam from such explosions ?

श्री हाथी इस बारे में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

Shri Kachhavaiya (Devas) : I want to know whether those bombs belonged to Pakistan or to some other country, as also the damage caused by those explosions ?

Shri Lal Bahadur Shastri : About the first part of the question, investigations are going on and we will come to know the facts about it. About the second part, only a part of the wall of the office of the Deputy Commissioner has been damaged.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Has Government ascertained that such incidents are not occurring due to the rivalries of the political leaders there ?

Shri Lal Bahadur Shastri : No, that is not the reason. Such incidents have even been occurring in the past. People have a tendency to always blame the political party in power at a particular time.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या कोई विदेशी जासूस स्थानीय राजनीति दलों की सहायता से वहां गड़बड़ कर रहे हैं और, यदि हां, तो कई किन्हीं सन्दिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। चूंकि जांच हो रही है, इसलिये उन के बारे में अन्तिम रूप से कुछ कहना कठिन है। परन्तु कुछ विदेशी एजेंट हैं जो इन घटनाओं के लिये उत्तरदायी हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) **:** With a view that these incidents and explosions may be a prelude to an impending grave danger,has the Government tried to see whether some Pakistani or pro-Pakistani elements have a hand behind all this; and if Kashmir Legislation Assembly is not able to tackle the situation, whether the Home Ministry propose to send some efficient officials to check the recurrence of such incidents in future ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Yes, possibly some Pakistani elements have a hand in such incidents. We are well aware of the whole situation. The State Government have also said that they would ask for the services of some officials if need arise. Whenever they want we will give them help.

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the critical situation there,why do the Indian Government not act of its own accord ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Government of Jammu and Kashmir is very vigilant about the matter.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जीवन बीमा निगम का चौथा मूल्यांकन प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं (१) जीवन बीमा निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २९ के अन्तर्गत, भारत के जीवन बीमा निगम की ३१ मार्च, १९६३ तक की चौथी मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०--२५४८/६४।]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(२) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७०।

(दो) दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७१।

(तीन) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७२।

(चार) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७३।

(पांच) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७४।

(छै) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७५।

(सात) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ३९१।

(आठ) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ३९३।

(नौ) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ३९४।

(दस) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ३९५।

(ग्यारह) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ३९६।

(बारह) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ४०१।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २५४९ / ६४।]

(३) सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७७।

(दो) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७८।

(तीन) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २७९।

(चार) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २८०।

(पांच) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की जी० एस० आर० २८१।

(छै) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की० जी० एस० आर० ३९७।

(सात) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ३९८।

(आठ) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ३९९।

(नौ) दिनांक ७ मार्च, १९६४ की जी० एस० आर० ४००।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २५५०/६४।]

(४) दिनांक २६ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८२ की एक प्रति जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ११ जनवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५० का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २५५१/६४।]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे, राज्य सभा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १० मार्च, १९६४ को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६४ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा १० मार्च, १९६४ को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६४ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा ११ मार्च, १९६४ को पास किये गये विनियोग विधेयक, १९६४ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

तरांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 625

डाक तथा तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : १७ मार्च, १९६४ को तारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के बारे में एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की यादगार संबंधी टिकटों का डिजाइन टिकट सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। वस्तुस्थिति यह है कि उस टिकट के लिये विधि मंत्री, डाक व तार विभाग मंत्री एवं टिकट सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित किया गय था। उसके डिजाइन एवं प्रूफ सुरक्षा प्रेस नासिक में तैयार किये गये थे और अन्तिम स्वीकृति विधि मंत्री एवं डाक व तार मंत्री ने दी थी।

तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य और मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

STATEMENT BY MEMBER AND CLARIFICATION BY MINISTER *RE* STARRED QUESTION NO. 361

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : मैंने प्रश्न संख्या ३६१ में उद्योग मंत्री से प्रश्न किया था कि क्या सरकार ने बढ़ते हुए एकाधिकार और धन के केन्द्रण पर रखने के लिये एक आयोग नियुक्त करने वाले प्रस्ताव पर विचार किया है। उस का उत्तर नाकारात्मक था, परन्तु उसी दिन शाम को माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एकाधिकार एवं धन के केन्द्रण संबंधी जांच के लिये एक आयोग नियुक्त किया जा रहा है। इस प्रकार के दो भिन्न कथनों से भ्रम पैदा होता है। अब दो बातें हैं जिन का स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं : एक तो यह कि मंत्रालयों में परस्पर सहयोग का अभाव है और एक वक्तव्य दूसरे वक्तव्य का खंडन करता है। दूसरे कि इस विषय के लिये उत्तरदायी मंत्री कौन से हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के उत्तर में शुद्धि

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : २६ फरवरी, १९६४ को तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के उत्तर में जो कुछ मैंने कहा था, और जिस के बारे में श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रश्न उठाया गया है, मैं उस का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

मुझे केवल यही कहना है कि जो घोषणा माननीय वित्त मंत्री द्वारा आयव्ययक प्रस्तुत करते समय करनी थी उस के बारे में सभी मंत्रि-मंडल के सदस्यों को पहले से जानकारी होना सम्भव नहीं था। इस लिये जब मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था तो उस समय स्थिति, जैसे कि मैं जानता था, वही थी।

वैसे तो एकाधिकार एवं धन के केन्द्रण का विषय माननीय वित्त मंत्री से ही सम्बद्ध है, परन्तु जहां तक इस का असर उद्योग पर पड़ता है उस के लिये मैं उत्तरदायी हूं। तथापि, मेरा भविष्य के लिये सुझाव यही है कि इस बारे में प्रश्न वित्त मंत्री से ही पूछे जायें।

सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक

PUBLIC EMPLOYMENT (REQUIREMENT AS TO RESIDENCE) AMENDMENT BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): मैं, श्री नन्दा की ओर से, प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, १९५७ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ल० ना० मिश्र : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

श्रम और रोजगार मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रम और रोजगार मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर विचार करेगी और मतदान भी होगा। ४ घंटे और २० मिनट शेष हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मंत्री महोदय उत्तर कब देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें ४.०० बजे बुलाऊंगा।

लार्ड इर्विन की मूर्ति के बारे में

RE: STATUE OF LORD IRWIN

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The statue of Lord Irwin, at the Gate of the Parliament House, wrapped in cloth, gives a very ugly appearance. Either it should be removed or some other appropriate decision taken regarding it.

Mr. Speaker : The responsibility for that which is outside does not be with me.

Shri Prakash Vir Shastri : I want to draw the attention of the Government to it through you, Sir.

Mr. Speaekr : The hon. Member has interrupted the proceedings. No other purpose is served.

अनुदानों की माँगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

श्रम और रोजगार मंत्रालय—जारी

श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : श्री अलवारेस का यह कहना गलत है कि भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस श्रमिकों की एकता को कम करने की दृष्टि से बनाया गया था चूंकि यह, सिवाय साम्यवादियों के, अन्य सभी कार्मिक संघों के अनुमोदन से बनाया गया था। मैं उन के इस कथन से भी सहमत नहीं हूं कि कार्मिक संघ राजनीतिक पक्षपात से रहित होने चाहिये, चूंकि, स्वय उन के संघ का झंडा वही है जो प्रजा समाजवादी दल का है। यद्यपि मैं उन के इस सुझाव से सहमत हूं कि श्रमिकों में एकता होनी चाहिये और मैं उन से इस विषय में बातचीत के लिये भी तैयार हूं, मैं यह नहीं मान सकता कि राजनीति को कार्मिक संघों से अलग रखा जा सकता है। मैं उस बात से सहमत हूं कि कार्मिक संघों में परस्पर विरोध की भावना से स्थिति में सुधार की आशा नहीं की जा सकती।

वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों से जो विकट स्थिति उत्पन्न हुई है उस का हमें उचित हल ढूंढना है। सरकार द्वारा मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया परन्तु मंहगाई भत्ता बढ़ते ही वस्तुओं के मूल्य और बढ़गए। सरकार ने सोचा था कि इस स्थिति के समाधान के लिये उचित मूल्य वाली दूकानें खोली जायें। जितनी दूकानों खोली गई हैं वह आवश्यकता की दृष्टि से अपर्याप्त हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि यदि मिलों के मालिक ऐसी दूकानें खोलने के पक्ष में नहीं हैं तो कारखाना अधिनियम में संशोधन कर के ऐसी दूकानों का खोला जाना अनिवार्य किया जाना चाहिये। सरकार को चाहिए कि यह अपने कर्मचारियों एवं श्रमिकों को सस्ते मूल्य पर अनाज, आदि वस्तुएं उपलब्ध करें, अन्यथा स्थिति और खराब हो जायेगी।

तीसरी योजना के लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से यह और भी आवश्यक है कि श्रमिकों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाय। यदि श्रमिक असन्तुष्ट रहे और आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें उचित मूल्यों पर न मिलीं तो उत्पादन बढ़ नहीं सकेगा।

इंजीनियरी, परिवहन, विद्युत आदि सभी प्रकार के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित किए जाने चाहिये। जिन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड स्थापित नहीं किए गए उन के लिये त्रिदलीय समितियां बनाई जानी चाहिये ताकि उत्पन्न होने वाले विवादों का परस्पर बातचीत द्वारा समाधान हो सके।

134 (ai) LSD—5.

बोनस आयोग की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों आदि से राय मांगी गयी है। परन्तु यह अत्यावश्यक महत्व का विषय है इस लिये सरकार को श्रमिकों के हित से समस्या का उचित हल निकालना है। भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के संकल्प पर भी विचार किया जाना चाहिये। चीनी उद्योग के श्रमिकों को बोनस देते समय इस तथ्य को समक्ष रखना चाहिये कि वह एक मौसम में ही काम करते हैं। उन के बोनस की गणना वार्षिक आय के आधार पर ही की जानी चाहिये।

बढ़ते हुए मूल्यों तथा बेकारी की समस्या की आड़ लेकर साम्यवादी दल ने मजदूरों का समर्थन प्राप्त करने के लिये सत्याग्रह का गलत तरीका अपनाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बेकारी तथा बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या गंभीर है। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद श्रमिक वर्ग की दशा में सुधार करने की दिशा में सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। पारस्परिक समझौतों के आधार पर औद्योगिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है।

बोनस का प्रश्न हम लोगों को कुछ समय तक परेशान करता रहा है। "बोनस" आयोग का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी। "बोनस" के निर्धारण के लिये लेखा परीक्षा यथासम्भव युक्तिपूर्ण होनी चाहिये।

आयोग द्वारा निर्धारित आधारसूत्रों को कार्यरूप देने के सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं, विशषकर राज्यों में, अधिकांश निरीक्षक बड़े बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के दबाव मैं रहते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे केन्द्र तथा राज्य दोनों में ही मजदूरों की स्थिति सुधारी जा सके।

विभिन्न विभागों में जो समझौते सम्बन्धी व्यवस्था कायम की गई है, प्रायः उसके बारे में यह शिकायत की जाती है कि सरकरार द्वारा निर्धारित नीतियों का उचित रूप में पालन नहीं किया जा रहा है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये अन्यथा हमारे इस दिशा में किए जाने वाले सारे प्रयत्न निष्फल सिद्ध होंगे और पंचाटों के अनुसार मजदूरों को प्रतिकर समय पर नहीं दिया जा सकेगा। सरकार को प्रति दिन होने वाले विवादों को निपटाने के लिये भी विभिन्न स्तरों पर समझौता व्यवस्था कायम करनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो, नीतियों को लागू करने के लिये कानून की मदद भी लेनी चाहिये।

जन साधारण के लिये सामाजिक कल्याण की व्यवस्था की जानी चाहिये। भारत के उच्च-न्यायाधिपति श्री गजेन्द्र गडकर ने भी अपने हाल में दिये भाषण में यह बात स्पष्ट कर दी है कि यदि हम प्रजातंत्र में जन साधारण का विश्वास तथा समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से संतुष्ट रखना होगा, उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये ठोस कार्यवाही करनी होगी। उन पर लागू होने वाले कानून बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यापक हों तथा प्रशासन को चाहिये कि वह अपना कार्य सच्चाई, अधिक क्षमता पूर्वक तथा सामयिक परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि से करे।

हमें अपने आर्थिक विकास के लिये श्रमिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। लोगों में यह भावना जागृत की जानी चाहिये कि देश के विकास में श्रमिक को सब से मुख्य स्थान प्राप्त है इस लिये उसे समाज में ऊंचा स्तर दिया जाना चाहिये। मजदूर और मालिक के सम्बंध परस्पर अच्छे होने चाहिये और उनमें आपस में हीनता अथवा बड़प्पन की भावना नहीं रहनी चाहिये। जब तक श्रमिक के महत्व को समझ कर उसे समाज में उचित स्तर नहीं मिलता है तब तक उत्पादन बढ़ना असंभव है।

देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इससे देश में भुखमरी फैली हुई है। यह हमारे सामने एक विकट समस्या है। सरकार को इस समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

कार्मिक संघवाद (ट्रेड यूनियनिज्म) भारत में कमजोर पड़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण कुछ दल विशेष रूप से साम्यवादी दल इसके कार्यों में राजनीति को ले आते हैं। साम्यवादी दल इन संघों की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है। कुछ अन्य राजनैतिक दल इसमें गुटबन्दी की भावनायें पैदा कर रहे हैं तथा कुछ अन्य दल इन्हें साम्प्रदायिकता के आधार पर चलाना चाहते हैं। मालिक लोग भी विभिन्न कार्मिक संघों में अवैध रूप से घुस कर उन पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। यह एक ऐसी खतरनाक स्थिति है जिसके प्रति कार्मिक संघ के सदस्यों और सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्मिक संघ के सदस्यों में अपना उत्तरदायित्व समझने की भावना होनी चाहिये। कार्मिक संघों को कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के साथ साथ यह भी महसूस करना चाहिये कि देश के वास्तविक प्रजातन्त्र तथा समाजवाद के निर्माण में उनका भी हाथ है। देश के हित को ध्यान में रख कर इन संघों को हड़ताल आदि की धमकी नहीं देनी चाहिये।

सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असमर्थ रही है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि यदि मजूरी या मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है, तो इस से देश में मुद्रास्फीति बढ़ेगी क्योंकि मजदूर लोग बहुत मितव्ययिता से रहते हैं और उनका रहन सहन का स्तर बहुत निम्न होता है। यह आवश्यक है कि मजदूरों को एक निश्चित न्युनतम मंजूरी मिलनी चाहिये। उनको दी जाने वाली मजूरी अथवा मंहगाई भत्ता निर्वाह व्यय देशनांकों से सम्बन्धित होना चाहिये।

गत वर्ष यह निर्णय किया गया था कि ९५ प्रतिशत संस्थानों द्वारा जिनमें ३०० से अधिक कर्मचारी हैं, सस्ते आनाज की दुकानें खोली जायेंगी। किन्तु इस दिशा में निराशा जनक प्रगति हुई है। सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को मिलाकर कुल ८० एककों ने इस प्रकार की दुकानें खोली हैं। इन संस्थानों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित नीति का पालन किया जाना चाहिये था;

भविष्य निधि में अंशदान देने वाले सारे कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए वित्त मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। इस से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

श्री प्र० कु० घो (रांची मध्य) : सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों पर उचित ध्यान देना चाहिये। मूल्यों में लगातार तेजी से वृद्धि होने से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में बहुत असन्तोष व्याप्त है। उनके महंगाई भत्ते में हाल में जो २ रुपये से लेकर १० रुपये तक की तदर्थ वृद्धि करके सरकार ने उनके साथ उपहास किया है। इससे कर्मचारियों को धक्का पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मूल्यों को बढ़ने से रोका जाय तथा करों के भार को कम करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहिएं। उन्होंने ये भी मांग की है कि महंगाई भत्ते से सम्बन्धित वेतन आयोग के विद्यमान आधार सूत्र के स्थान पर एक नया आधारसूत्र तैयार किया जाना चाहिए तथा निर्वाह व्यय देशनांक फिर नये सिरे से तैयार किये जायें।

सरकार की मूल्यों को रोकने सम्बन्धी नीति गलत है। नियंत्रण और प्रतिबन्ध लगाकर तथा परमिटों से मूल्य बढ़ने से नहीं रोके जा सकते हैं। इससे नियंत्रण वाली वस्तुओं की कृत्रिम दुर्लभता की स्थिति पैदा की जाती है और इसके परिणामस्वरूप ये वस्तुएं चोरबाजारी में मनमाने मूल्यों में बेची जाती हैं जैसा कि अभी हाल में चीनी के मामले में हुआ है। चीनी नियंत्रण लागू होने से

पहले १ रुपये १५ नये पैसे प्रति किलो बिक रही थी और नियंत्रण लागू होते ही दाम बढ़ कर १ रुपये ३१ नये पैसे प्रति किलो हो गये । सरकार की नियंत्रण सम्बन्धी नीति बुरी तरह असफल रही है। फिर भी सरकार न जाने क्यों नियंत्रण पर इतना जोर देती है । सत्तारूढ़ दल द्वारा यह नीति केवल कुछ लोगों के लिये चलाई जा रही है । अन्य सभी लोगों को इस नीति से नुकसान ही पहुंचता है। यदि सरकार वास्तव में मूल्यों को कम करना चाहती है तो उसे सब से पहले आयात की जाने वाली तथा कम सम्भरण की जाने वाली वस्तुओं के अलावा सारी वस्तुओं पर से नियंत्रण उठा लेना चाहिए। किसी भी व्यापारी को निर्धारित मात्रा से अधिक खाद्यान्न जमा रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिये । जिन वस्तुओं की कमी है उन्हें अधिक मात्रा में उपलब्ध किया जाये । सरकार को खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इसका प्रचुर मात्रा में विदेशों से आयात करना चाहिए । अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर कम किये जाने चाहियें । बचत का आथ व्ययक होने पर इन करों का कोई औचित्य नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए :
(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)]

द्वितीय वेतन आयोग द्वारा तैयार किया गया महंगाई भत्ते सम्बन्धी आधारसूत्र फिर से तैयार किया जाना चाहिए । इस आयोग की सिफारिशें कर्मचारियों ने कभी स्वीकार नहीं कीं क्योंकि ये कर्मचारियों के हित के विरुद्ध हैं ।

सरकार द्वारा तैयार किया गया जीवन निर्वाह देशनांक (कॉस्ट आफ लिविंग इंडेक्स) दोषयुक्त है । इसलिये देशनांक तैयार करने के काम में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिये । देशनांक तैयार करते समय वास्तविक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिये न कि केवल कुछ नियंत्रित मूल्यों को क्योंकि वस्तुएं सदा नियंत्रित मूल्यों पर नहीं मिलती हैं ।

महंगाई भत्ता निर्वाह व्यय के पुनरीक्षित देशनांक के अनुसार फिर निश्चित किया जाना चाहिए और इसका भुगतान वर्ष १९६१ से किया जाना चाहिए । कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें उचित वेतन देकर सन्तुष्ट रखना होगा ।

रांची में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की दशा बहुत खराब है । वहां पर मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वहां पर कोई परियोजना भत्ता नहीं दिया जाता है जब कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों को यह भत्ता मिल रहा है । रांची को 'ख' श्रेणी का शहर बनाया जाना चाहिए । मैंने इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री से पत्र व्यवहार किया था किन्तु उन्होंने वहां की जनसंख्या कम होने के कारण असमर्थता प्रकट कर दी । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वर्गीकरण का एक मात्र आधार जनसंख्या को ही नहीं मानना चाहिए ।

वर्ष १९५२ की कर्मचारी भविष्य निधि योजना (एम्पलोइज़ प्रोवीडेंट फंड स्कीम) में निधि सदस्यों के लेखों पर ब्याज लगाने के सम्बन्ध में एक गम्भीर दोष है । इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष हजारों कर्मचारियों को आवर्ती हानि उठानी पड़ रही है । ब्याज का हिसाब लगाते समय उन्हें पूरे वर्ष में औसत राशि को आधार मानना चाहिए तथा उन राशियों पर ब्याज दिया जाना चाहिए ।

किसी कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने पर उसे, मालिक द्वारा, जमा की गयी भविष्य निधि की पूरी राशि नहीं दी जाती है । सरकार को इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए

तथा प्रत्येक कर्मचारी को यह लाभ प्राप्त रहना चाहिए कि उसकी भविष्य निधि सम्बन्धी पूरी राशि का भुगतान उसका मालिक करे चाहे उसने कितनी ही सेवा के बाद नौकरी छोड़ी हो।

Shri M. B. Vaishya (Sabarmati) : Since the new hon. Minister is well aware of the problems of the poor and the down-trodden workers, I think he will be able to inprooe their lot.

The relations between the owners and the workers should be based upon the principles of truth, non-violence and common welfare, that were taught by Mahatama Gandhi. Ahmedabad Mahajan Sangh was established by Mahatma Gandhi himself, near about the year 1918, which is ever since working on those principles. There, the workers don't resort to strike. All disputes are settled by mutual cooperation. Mahatma Gandhi taught us that there was no difference between a worker and an owner in the Industrial Era. They both are working collectively for the upliftment of the masses. Both of them have no selfish end in view. They work for peace and prosperity of each other. Having regard to these views, the mill-owners should look to the welfare and well-being of the workers, and provide them with such amenities as houses etc. 90 per cent of our population constitute labour and they should all be provided with means of livelihood. Since prices are soaring high, they should be given more wages. Fair price shops should be opened for them. If those living in cottages are not happy and contented, the people living in Bungalows shall never feel at ease.

The worst-affected are the landless labourers in villages, because they have no voice. One of the reasons for the shortfall in agricultural production is that the landless labourers are deprived of employment opportunities. Whatever they earn is insufficient to make them both ends meet. Therefore, more attention should be given to improve their plight.

Scheduled Castes and Scheduled tribes are also neglected. Two lakh 50 thousand and 510 such people are without employment today. It is heartening to know that they have been provided with educational facilities. But they have no employment opportunities. The percentage of reservation made for them is very less.

Bonus Commission has submitted its Report which is under consideration now. I request that decision should be taken on its recommendations without any further delay.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : खानों में काम करने वाले मजदूरों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। उन्हें चिकित्सा और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध की जायें। उनके रहन सहन में सुधार की आवश्यकता है तथा काम की शर्तें अच्छी होनी चाहिएं। मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

चूंकि कृषि का क्षेत्र संगठित नहीं है इसलिये इस क्षेत्र की सरकार द्वारा पूर्णतया उपेक्षा की गई है। स्वयं सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, योजना आयोग द्वारा निदेश दिये जाने के बावजूद भी, राज्य सरकारों द्वारा भूमिहीन और समाज के दलित वर्गों को भूमि देने का काम बड़ा ही निराशाजनक रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मजदूरों की काम करने की शर्तें अच्छी नहीं हैं। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि अभी हाल में दिल्ली में दो दर्जी काम करते हुए जल कर मर गये थे। सरकार को इस ओर ध्यान देना

चाहिए । मजदूरों की रहन-सहन की हालत,, विशेषकर खान मजदूरों की, दयनीय हैं । ये लोग छोटी छोटी झोंपड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह रह कर नरक जैसा जीवन बिता रहे हैं । खान मालिक उनकी हालत सुधारने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं करते हैं । सरकार को कानून बना कर मिल मालिकों को मजदूरों को मकान देने के लिए मजबूर करना चाहिए जिससे मजदूर अच्छी हालत में रह सकें और यह समझें कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जा रहा है ।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि मजदूरों में उत्पादात्मक तथा रचनात्मक प्रयासों में सहभागी होने की भावना हो क्योंकि इस प्रकार की भावना से प्रबन्धकों और मजदूरों के परस्पर सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिए काफी सहायता मिल सकती है । मजदूरों को लाभांशों में हिस्सा दिया जाना चाहिए । इससे मजदूरों में विश्वास पैदा होगा और वे अधिक क्षमता से देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य कर सकेंगे ।

खान क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इस बात की शिक्षा देने की बड़ी आवश्यकता है और इसके लिए कार्मिक संघों को पूर्ण सहयोग देना चाहिए कि श्रमिक अपनी उत्पादक क्षमता से जो अधिक धन पाते हैं, वे उसको जुए और शराब आदि पर खर्च न करके उसे भविष्य के लिए बचा कर रखें ताकि कठिनाई के समय उनके काम आ सके । श्रमिकों को अपनी सहकारी बचत संस्थायें भी बनानी चाहिये । इस प्रकार की शिक्षा देने के सम्बन्ध में मैं कार्मिक संघों से अपील करता हूं । सभी कार्मिक संघों और सरकारी कर्मचारियों को चाहिये कि वे श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उत्तम औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने में सहयोग दें । मा० श्रम मंत्री इन महत्वपूर्ण मामलों पर ईमानदारी के साथ कार्रवाई करें ।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : If we want to increase the wealth of the country we should give encouragement to the labour classes of the country. But it is very unfortunate that we have forgotten our duty towards them after independence.

I want to place before the House the resolution that was passed in the conference of Ministers from all the provinces under the chairmanship of Mahatma Gandhi. It is was said :

"This Conference opened with an address by Gandhiji who, in the course of his speech, pointed out that as the world is organised today, 'the mighty alone can survive to the exclusion and at the cost of the weak'. True independence demands that there should be room even for the weakest. The base and foundation of economic activity was agriculture. Years ago I read a poem in which the peasant is described as the father of the world. If God is the Provider, the cultivator is His hand. What are we going to do to discharge the debt we owe him ? We have lived so long only by the sweat of his brow."

I extend unstinted support to what has been said in favour of the other workers. But I want to draw the attention of the Ministry particularly to the weakest section of the society, that is agricultural labour. In the above mentioned conference the following resolution was accepted :

"Having considered the policy that should govern the economic development to be initiated by popular Ministries, this Conference of Ministers, assembled from various provinces at Poona, hereby resolves :

(1) That in view of the acute scarcity prevailing in the country with respect to the primary requirements of the people, especially food and clothing, plans for economic development should centre round the farmer and agriculture, and should be motivated with the object of providing a balanced diet, adequate clothing and other articles of primary human need for every citizen in the land, and that for this purpose steps be taken to ensure that the land available for cultivation is distributed by proper regulation, such as licensing, between various crops needed by the community and in the required proportion."

Government have under its possession lakhs of acres of land in every state. People have been agitating for land. I want to know how much land has been distributed among the labourers to solve this labour problem.

Due to delay in the implementation of land legislation the Zamindars were successful in disposing of surplus land among their relatives. Government should set up state farms or cooperative farms or make any other suitable arrangement to solve the problem of landless labourers. Unless Government finds a solution to the problem of agricultural labour, agriculture cannot make any headway in the country and no development can take place in the country.

Revenue from agriculture constitutes 50 percent of our national income. But I am pained to see that not much has been done to improve the miserable lot of the agricultural labour.

Government bow to the demands of factory workers and others who threaten the Government to go on strike. But the 20 crores of agricultural labourers do not find any place either in the budget or in society or even in this House. Only Rs. 11,10,11,00 have been allotted to meet the demand relating to labour out of a total budget provision of Rs. 2,000 crores. It is very shameful indeed.

More money should be spent on welfare activities, because it is a vital problem. Government should improve the lot of agricultural labourers. and workers of small industries. Cottage industries and cooperative industries should also be encouraged. If the Government can help these people in earning their means of livelihood, then alone it can be said that the plan has succeeded. The implementation of the plans has been entrusted to such persons who have very little idea about the Indian conditions The situation in the country is getting out of control and particularly so in the agricultural field. In these days of rising prices it is very difficult for a person who earns 3 annas 04 annas a day to make both ends meet. Shri Kumarappa in his analysis says :

"It cannot be over-emphasized that any plan for our country must be based on the fact of unlimited labour being available. This will naturally minimize the use of centralized methods of production, and such plans as we devise should centre round forms of production where labour plays the major part."

It is a pity that there is no labour centred plan in this country. He goes on to say :

> "Centralized forms of production will be labelled 'POISON' and used sparingly, in minute well-regulated doses, for key industries, public utilities and national monopolies. In an economy of this nature, production will follow demand and consumption will not be forced. Distribution will be part and parcel of the process of production and consumption, and will not call for further coercion to ensure distributive justice."
>
> When our plan is labour-centred, money will recede to its proper place as a means of exchange and will not dominate or colour the whole economic organization, and we need not worry about 'created money' and like problems."

Government allot money for unproductive purposes. If they make available a sum of Rs. 100 to a labourer. He can add another Rs. 100 to the national wealth by the construction of a bund or something like that.

Labour cooperative societies do not get loans from the Government, because they have no property or house against which loans can be advanced to them. Government should set up industries themselves and give them to labourers co-operative societies on hire-purchase basis. Such a scheme is being tried in Guindy in Madras State. I am not in fabour of State nationalisation. Labour should have a share in industries and their management. Unless this is done nationalisation has no meaning.

I quote some pieces from the "Report of the Study Group on the welfare of the Weaker Sections of the Village Community." The following are some of the observations of the Study Group.

> "In addition, the village leaders are the favoured members pf the Government officers."

In the villages no programme has been chalked out for improving the lot of the labourers.

Regarding credit made available to the villagers, the study Group says :

> "It confirms the belief in the minds of the weaker sections that Government Development activities are intended for the stronger and more favoured groups. Camps for training village leaders, panchayats members, cooperative members merely emphasise this feeling that a new village elite is being formed out of the economically stronger sections.
>
> The advanced groups not only have greater contact with the official agencies but a large proportion of officials also come from these groups and consequently their sympathies are more with them: Unless the weaker sections get some reservation of seats in Government Service, the difficulties are bound to remain unsolved.

The following factors have also contributed to this malady :— I feel ashamed to quote these words.

"Credit is being prostituted for political reasons".

"Machinery for recording and recovering the loans is inadequate, poor in quality and often demoralised."

This is what the Study Group has to say about the housing problem :

"All agreed that unless plots for housing are made available free of cost to the weaker section, criticism regarding the loaning policy will always hold good. The defects are that a major portion of the provision under this head is spent on staff quarters in stage I of the Block'.

"Loaning policy of the mousing Ministry is a dismal feature."

Further it says :—

"Provision of small funds also imply that subsidies programme cannot be undertaken. Loans under this head have also been advanced carelessly. The maxim that the loans should be repaid ultimately from their income has been ignored."

In conclusion I submit that more emphasis should be laid on schemes relating to agricultural labour. A long term plan should be drawn up so that agricultural production is increased, and imports of foodgrains from abroad are stopped.

श्री ब० बा० गांधी (बम्बई-मध्य दक्षिण) : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में अनेकानेक विकास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और उन पर करोड़ों अरबों रुपये लगे हुए हैं। इस कारण हमें उस विकास व्यय को पूरा करने के लिये घाटे की वित्त व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हम विकास कार्यों को पूरा कर सकें, जिन पर बहुत बड़ी भारी राशि खर्च होती है। इस घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति अवश्यमेव होगी, और उसका अनिवार्य प्रभाव यह होगा कि वस्तुओं के दाम ऊंचे चढ़ेंगे। अतः यह कहना सर्वथा सत्य है कि विकास कार्यों के साथ कुछ सीमा तक मुद्रा स्फीति होना जरूरी हुआ करता है। परन्तु ऐसा सोचना भी गलत है कि हम इन में से कुछ समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। यदि हम उत्पादन को बढ़ाने की ओर अधिक प्रयत्न करें और महत्वपूर्ण दिशाओं में वितरण पर नियंत्रण करें तो निश्चय ही स्थिति में सुधार होगा। हमें कीमतों को गिराने के लिये अधिक सस्ती दुकानों या सहकारी उपभोक्ता भण्डार खोलने चाहियें ताकि जनता जो महंगाई में पिस रही है, उसको कुछ राहत मिले। सरकार को इस की ओर ध्यान देना चाहिये।

यह बड़ी चिन्ता एवं खेद की बात है कि देश संकट काल में से गुजर रहा है, परन्तु फिर भी कुछ लोग देश में संकट काल की विद्यमानता को अनुभव नहीं करते और वे हड़तालों, आन्दोलनों, प्रदर्शनों आदि की बातें करके औद्योगिक शान्ति संकल्प को भी समाप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह प्रवृत्ति बहुत भयानक है। यदि ऐसे लोगों को यह आशा है कि वे ऐसे काम करके कार्यकर्ताओं की विचारधारा को बदल सकेंगे, तो वह सर्वथा भ्रामक है। कार्यकर्ताओं मे देश भक्ति की भावना उन लोगों की अपेक्षा कहा अधिक है और देश की प्रगति तथा संकटकालीन अवस्था को देखते हुए ऐसा कोई कार्य करने को तैयार नहीं जो अशान्ति फैलाये और प्रगति के लिये बाधक हो।

देश भर में मालिकों और कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध और सम्पर्क का वातावरण फैला हुआ है। हमें आगामी कुछ वर्षों के लिये एकमेव मंत्र यह बना लेना चाहिये कि उत्पादकता को बढ़ायें और उत्पादन अधिक हो। इस विषय में मंत्रालय द्वारा संतोषजनक कार्य किया जा रहा है और

उत्पादन वृद्धि तथा उत्पादकता बढ़ने और औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिये अधिक प्रयत्न करने की जरूरत है ।

देश के सूचकांकों को यदा कदा बदलना ठीक नहीं होता । जब समाज की खपत या उपयोग में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, तभी सूचकांकों में परिवर्तन किया जाना चाहिये, अन्यथा नहीं । कुछ सदस्यों द्वारा आरोप लगाये गये हैं कि सरकार ने जान बूझ कर पुराने सूचकांक रखे । परन्तु प्रजातंत्रीय सरकार में इस प्रकार नहीं हुआ करता ।

श्री आल्वा (मंगलौर): देश के श्रमिकों और श्रम जीवी वर्गों की हालत को सुधारने के लिये तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु मंत्रालय ने निश्चय ही कुछ अच्छा काम किया है और इस दिशा में कुछ प्रगति भी की है, यह संतोषजनक कारण है ।

परन्तु कृषि श्रमिक जितना काम करते हैं, उसके अनुसार उनको मजूरी नहीं दी जाती, और इसी कारण कृषि श्रमिक या अन्य श्रमिकों में खेतों में जाकर काम करने का कोई उत्साह नहीं होता । सरकार को इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से तथा कृषि श्रमिकों को उचित मजूरी दिलवाने के लिये वह समुचित व्यवस्था करे, ताकि श्रमिकों का शोषण न हो और कृषि के लिये पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो सकें और कृषि की प्रगति में बाधा उत्पन्न न हो ।

जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम इतने अधिक हैं कि जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और निर्धन लोगों तथा श्रमिकों के लिये निर्वाह करना कठिन हो गया है । सरकार को चाहिये कि वह बढ़ती हुई कीमतों को रोके, मूल्य को स्थिर रखने का प्रयत्न और यह तभी किया जा सकता है जब खाद्यान्न की सस्ते दामों की दुकानों को सरकार सहायता दे, जहां से श्रमिकों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उचित दामों पर मिल सकें । सरकार द्वारा महंगाई भत्ते या लाभांश को बढ़ा देने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसी अनुपात में वस्तुओं के दाम और महंगे हो जायेंगे ।

निर्वाह व्यय सूचकांक के सम्बन्ध में जनता में बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि गलत सूचकांक तैयार किये गये हैं । सरकार को इसके बारे मे बड़ी सतर्कता और शुद्धता से काम लेना चाहिये ।

कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा की जो सुविधाएं प्राप्त हैं, वे अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर भी लागू की जानी चाहियें । औषधालय या चिकित्सालय स्थापित करने के लिये सरकार द्वारा भूमि आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

सरकार को श्रमिकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये और छोटे उद्योगों में भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । यदि श्रमिकों को भली भांति शिक्षा दी जाये तो उनमें अनुशासन बढ़ सकता है और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं तथा अपना हित अहित समझ सकते हैं और शिक्षित होने पर वे निहित स्वार्थ व्यक्तियों के चुंगल में नहीं आयेंगे ।

समझौता अधिकारी ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहियें जिनको श्रमिकों की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान हो और जिनका दृष्टिकोण उन समस्याओं के प्रति मानवीय हो । समस्याओं से अपरिचित या मानवीय दृष्टिकोण न रखने वाले समझौता अधिकारी कभी सफल नहीं हो सकते । मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं ।

Shri Kachhavaya(Oevas): From every new minister people make high hopes, but after some time all those hopes are dashed to the ground.

Prices of various essential commodities have tremendously increased and poor people and labourers are finding difficult to make their livelihood. Govt. should make sincere efforts to check this rise in prices Govt. should also open fair price shops in factory areas from where labourers may obtain their necessaries of at cheap rates.

Like Railways every department should open departmental fair price shops for their employees. As such we resort to controls & restrictions, corruption increases in the same proportion. There is a big gap between the, rates prescribed by Govt. and the prevailing market rates, which gives rise to all sorts of irregularities.

Our Govt. should check increase in population and provide ample employment to the people. But by installation of machinery manpower has been rendered unemployed. We must increase production in our factories and retrenchment should not take place. Govt. should check unemployment. Through employment exchanges only one percent of the registered people get employment. When Govt. decides to set up factories in a state, one of the consideration is to provide employment to the local people. But due to nepotiism and favouritism people from other states get employment. Their working should be improved.

Genuine demands of workers are crushed. Office bearers of Intuc, who were peniless, now own palatial buildings. Such examples can be find in our states. In Punjab Bhagwat Dayal is an example. There are rivalries & clashes in Intuc and other trade union and as a result interests of labour are undermined.

उपाध्यक्ष महोदय : जो लोग यहां उपस्थित नहीं हैं, उनके नाम नहीं लिये जाने चाहियें ।

Shri Kachhavaiya: I know certain arguments reached between labour and employers and those so called leaders of Intuc make undue profits for themselves. There is a suggestion that politicians should not be allowed to enter into trade unions. But Intuc leaders are often seen holding high positions in Congress. They earn money and quarrel and disregard all the interests of labourers. I give one example. Labourers of Yamunanagar mill demanded increase in their wages and allowances. They were arrested, which was altogether unnecessary. There was a movement, and Intuc did not know of that. Inspite of correspondence nothing has been done. Such labour disputes should be decided at the earliest.

Certain members of Parliament have made a demand for more pay and allowances. They should be put behind the bars for five and six months, and asked to relate their experiences. If they are not prepared for that, what right the Govt. should have to arrest labourers who demanded increase in pay and allowances. The union which commands majority membership, should be given recognition. There should be elections along labourers to judge their association with respected trade union. The situation should not be allowed to worsen by certain big ups.

Lakhs of Bidi workers in Madhya Pradesh get only Re. 1 and 7 As. for 1000 Bidis, while they should get Re. 1 and 11 As. Govt. should ensure better wages for them.

Various Acts and Rules, which are made by Govt. should be implemented and enforced in factories. All workers should get facilities of provident fund and other things. These matters should be enquired into and defaulters should be prosecuted against. The enquiring officers should be influenced, must be ensured while taking decisions about labour, their genuine leaders representative should be consulted.

Shri R. S. Pandey (Guna) : I congratulate the new minister and hope that labour and employment condition of the country will improve under his able guidance.

We have to implement the resolution passed at Bhubaneshwar in regard to socialist society. Good work has been done to provide certain basic facilities for labourers, but much remains still to be done.

The condition of agriculturists and labourers employed in agriculture in our country, who are the back-bone of the nation, is not satisfactory. We should try to improve their lot and unless they are uplifted, country cannot go ahead on the path of democratic socialism. Govt. should ensure proper renumeration for the agricultural labour. So that he may have sufficient inn-centive to increase production. During this scientific age labour of other countries is getting all sorts of facilities and our labour is denied of these facilities. In foreign countries labour have got right of participation in management. We should also provide for labour's participation in mamagement, becuause that system will create a sense of participation, and responsibility and provides for necessary incentive for encient working and higher production. We should make this system successful in our country. We must ensure better industrial relations between employees and workers, management councils should be formed in all the industries and the workers should be taken into confidence while decisions are taken. This will go to fill them with a sense of responsibility. We must improve the working conditions of our industrial workers and should instruct senior officers to behave properly with workrer. Proper sense of welfare combination with administration should be the guiding factor for officers while dealing with workers. Wprkers should not be treated like dumb and driven cattle ; but they should be given due regard for the work they put in.

Some training centres have been opened, but their number is not sufficient looking to the numbers of labourers. As such training facilities should be extended and more centres should be opened. Govt. should provide more money for the same. There should be facilities of training for unskilled people in rural areas.

Housing condition of workers in Bombay and Calcutta is miserable. Many people in one small hut and use one cot. There is no arrangement of water, laterine etc. I suggest that unless an industry provides for suitable accommodation of workers, industrial licences should not be granted. Govt. should pay serious attention to the problem and find out some solution thereof.

There is no gratuity, provident fund etc. for the working community. Nor there is security of their service. Govt. should make suitable provision for them.

Govt. and the industrialists should set up fair price shops on cooperative basis so that people may purchase their necessaries of life from there at cheaper

rate and are not subjected to rising prices and the Index numbers also does not unnecessarily go up. Govt. should pay serious attention towards this.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : श्रीमान्, मैं नये मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं किन्तु साथ ही उन्हें इस सम्बन्ध में भी सचेत कर देना चाहता हूं कि जिस पद पर वे आये हैं वह एक अत्यन्त जिम्मेदारीपूर्ण पद है।

बेरोजगारी सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। सरकार इस समस्या का उचित समाधान करने में असमर्थ सिद्ध हुई है। आशा है कि मंत्री महोदय समस्या की गहनता को समझने के साथ ही इस समस्या को सुलझाने के कार्य में भी शीघ्रता लाने का प्रयत्न करेंगे।

सरकार श्रम और रोजगार के क्षेत्र में बुरी तरह असफल रही है।

[**श्री तिरुमल राव** पीठासीन हुए।]

[SHRI TIRUMAL RAO *in the Chair*]

दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक २३,७९,५३० बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। इसमें से तकनीकी व्यक्ति २,४०,९३२ और दूसरे २१,३८,५९८ थे। इस देश में तकनीकी व्यक्तियों को भी रोजगार प्राप्त न होने का कोई कारण समझ में नहीं आता। इसके साथ ही अल्प रोजगार की भी समस्या हैं जिससे देश में गरीबी और फैलती जा रही है। यदि सरकार ने इस समस्या को सुलझाने में सुस्ती दिखाई तो देश पर संकट उपस्थित हो जायेगा।

बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिये हर जिले में एक एकक स्थापित किया जाये। इसके बाद सारी जानकारी का समन्वय करके चौथी योजना तैयार करने के पहले एक विस्तृत योजना तैयार की जाये। रोजगार के क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन को भी अधिक व्यापक बनाया जाये। यदि यह कार्य आरम्भ कर दिया गया तो पांचवीं योजना के अन्त तक समस्या के सुलझने के चिह्न नजर आने लगेंगे।

छोटे उद्योगों के विकास और ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की जाये।

रोजगार दफ्तर प्रक्रिया नियम संग्रह का पुनरीक्षण किया जाये।

हमारी सब से बड़ी शक्ति जन संपदा है। किन्तु उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा।

विद्यार्थियों को अध्ययन समाप्त करने के बाद नौकरी दिलाने के सम्बन्ध में देश से प्रत्येक स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय में एक यूनिट खोला जाये।

सरकार ने हाल ही में कहा था कि वे २ करोड़ रुपये की प्रारम्भिक पूंजी से एक बेरोजगारों की सहायता सम्बन्धी निधि बना रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या इतनी पूंजी काफी होगी और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

एक अखिल भारतीय वार्धक्य पेंशन योजना बनाई जाये। परिवार पेंशन योजना का क्या ब्यौरा है और यह कब तक कार्यान्वित कर दी जायेगी?

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान काम दिलाऊ दफ्तर इस समस्या का सामना करने में असमर्थ हैं। मंत्री महोदय बतायें कि वे इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं ?

भिखारियों की समस्या पर भी तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। अभी तक समुचित आंकड़े भी उपलब्ध नहीं किये गये हैं, जिनके आधार पर एक व्यापक योजना बनाई जा सके। मंत्री महोदय बतायें कि वे इस समस्या का किस प्रकार समाधान करने जा रहे हैं।

गंदी बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में भी कुछ कार्य नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में हम मंत्री महोदय से एक निश्चित आश्वासन चाहते हैं।

अकाल से पीड़ित मजदूरों के साथ भी उचित व्यवहार नहीं किया जाता। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये।

देश में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। उनके साथ धोखा किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और उन्हें उचित मजूरी नहीं दी जाती। मंत्री महोदय इस विषय की ओर भी ध्यान दें।

राज्य सरकारें, श्रमिकों के लाभ सम्बन्धी विधान कार्यान्वित करें, इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है। राज्य सरकारें विधान को कार्यान्वित नहीं करतीं। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हावड़ा के एक घने बसे हुए क्षेत्र के एक मकान के एक कमरे में जिसकी लम्बाई चौड़ाई ६०'×२०' थी और जिसमें एक ही द्वार था, एक कारखाना था जिसमें ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग होता था। वहां एक दुर्घटना हो गई। वहां आग लग गई और मजदूरों के सचेत होने के पहले ही छत उन पर आ गिरी। ऐसी घटनाओं से दो ही निष्कर्ष निकलते हैं कि या तो निरीक्षक अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे अथवा आपका विधान कारगर नहीं है।

यदि इस समया पर उचित ध्यान नहीं दिया गया तो देश पर संकट उपस्थित हो जायेगा। सरकार को चाहिये कि अनुच्छेद ४१ के उपबन्धों को लागू करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हो। इन उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय संगठन और केन्द्रीय निधि बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है ?

मेरे कटौती प्रस्ताव स्पष्ट हैं। आशा है मंत्री महोदय उन पर विचार करेंगे।

श्रीमती विमला देवी (एलरू) : संकटकाल में श्रमिकों को शांति बनाये रखने तथा अधिक उत्पादन करने के लिये कहा गया था और सरकार तथा नियोजकों ने मूल्यों को स्थिर रखने का आश्वासन दिया था ताकि श्रमिको की वास्तविक मजूरी गिरने न पाये। नियोजकों ने संकटकाल का पूरा लाभ उठाया परन्तु श्रमिक वर्ग की दशा और अधिक खराब हो गई है। बढ़ती हुई कीमतों के कारण उनके लिये जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया है। सरकार बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असमर्थ रही है। जब श्रमिकों को यह विश्वास हो गया कि सरकार उन्हें संरक्षण नहीं दे सकती तब उन्हें अपनी रक्षा के लिये कार्यवाही करने पर मजबूर होना पड़ा। सारे देश में प्रदर्शन किये गये, भूख हड़तालें की गई और इस काम के लिये हस्ताक्षर एकत्रित किये गये। महिलाओं ने भी हस्ताक्षर इकट्ठे किये और इन प्रदर्शनों में भाग लिया। दिल्ली में श्रमिक महिलाओं ने १५,८५३ हस्ताक्षर इकट्ठे किये। उन्होंने कीमतों को कम करने तथा और अधिक सस्ती दुकानें खोलने की प्रार्थना की है। मैं इन हस्ताक्षरों को माननीय मंत्री को प्रस्तुत करूंगी। गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल सहन नहीं की जायेंगी। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि इनके अतिरिक्त श्रमिक और

कर ही क्या सकते हैं । जब नियोजक उनकी उचित मांगो को स्वीकार नहीं करते हैं तो वे चुप कैसे बैठ सकते हैं । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी उचित मांगों को पूरा किया जाये ।

पटसन मजूरी बोर्ड ने सर्वसम्मति से जो सिफारिशें की थी उनको आंध्र प्रदेश की दो पटसन मिलों ने कार्यान्वित करने से इंकार कर दिया था । वहां के श्रमिको ने इसके लिए विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है । श्रम आयुक्त श्रमिकों को मिल मालिकों की पेशकश स्वीकार करने के लिये बाध्य कर रहा है । भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री नन्दा ने दो वर्ष पहले सभा को यह आश्वासन दिया था कि यदि मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा तो वे मिल मालिकों से उन सिफारिशों को मनवाने के लिये एक विधान लायेंगे : अतः वर्तमान श्रम मंत्री को आंध्र प्रदेश सरकार को सलाह देनी चाहिये कि मिल प्रबंध के रवैये पर कड़ी कार्यवाही करें और यह देखें कि १–७–१६६३ से उन सिफारिशों को प्रभावी बनाया जाये ।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना आंध्र प्रदेश के तम्बाकू श्रमिकों पर लागू की जाये । सरकार को देश में समाजबादी समाज के निर्माण के लिए महिलाओं को नौकरी के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिये । कुछ प्रतिशत नौकरियां उनके लिये आरक्षित की जानी चाहिये । महिलाओं को पुरुषों के समान मंजूरी दी जानी चाहिये । महिला श्रमिकों के साथ नौकरी तथा मजूरी के मामले में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये । आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक व्यवस्थाकरण का सब से अधिक शिकार महिलायें ही बनायी जाती हैं । जब वे पीठ पर अत्यधिक भार उठा सकती हैं तो क्या उन्हें मशीनें चलाने में कोई कठिनाई हो सकती है । अतः मैं चाहता हूं कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ।

कुछ औषधालयों में लड़कियों को इस शर्त पर रखा जाता है कि विवाह करने के पश्चात उन्हें नौकरी से निकाल दिया जायेगा । क्योंकि वे उन्हें प्रसूति सुविधायें देने पर होने वाले धन से बचना चाहते हैं । सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि विवाहित औरतों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात न किया जाये । औरतों के विवाह करने के अधिकार तथा नौकरी बने रहने के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिये । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि विभिन्न उद्योगों में काम करने वाली औरतों को प्रसूति सुविधायें दी जायें और नियोजकों को ऐसी सुविधायें देने के लिये बाध्य करने के लिये कोई विधान पास किया जाये ।

शहरों तथा नगरों में शिशु पालन शाला बालोद्यान तथा केन्टीन खोले जाने चाहियें जहां नौकरी करने वाली महिलाओं के बच्चों की देखभाल की जा सके क्योंकि इन सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत सी महिलायें कोई नौकरी नहीं कर सकतीं । जिन महिलाओं को उनके गांवों अथवा नगरों से बहुत दूर के स्थानों पर नियुक्त किया जाता है उन्हें बहुत असुविधा होती है । अतः उन्हें आवास तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहियें । श्रमजीवी महिलाओं की शिकायतों की जांच करने के लिये सरकार को एक समिति नियुक्त करनी चाहिये ।

Shri B. N. Mandal (Saharsa) : A wage board for watchmen should be constituted for fixing minimum wages for watchmen who are paid only Rs.5/- per month as wages. The plea that they are part-time workers does not hold good as most of their time is spent on this work. The wages of village level workers who get between Rs. 25 to Rs. 40 per month should be increased. Their minimum wages should be fixed keeping in view the prevailing conditions. A wage board should be appointed to fix the wages of litho press workers. These workers should also be included in the category of printing press workers

and the same scales of pay should also be made applicable to them. Government should see that the Minimum Wages Act is implemented in the case of Gandhi Memorial Hospital workers. There have been persistent complaints against a doctor in T.B. Hospital, Mehrauli from its workers. Government should look into this matter.

A wage board should be set up for fixing the wages of the workers of leather industry in Kanpur.

The Minimum Wages Act should be made applicable to the one lakh shop employees of Delhi.

The tribal people, who do the work of sorting of bidi leaves should be protected from exploitation by the contractors. I suggest that the contract system may be abolished and nothing should be charged from these people.

Rickshaw pullers and tongawallas should be saved from the highhandedness of the police.

A wage board should be set up for the mica workers. A mica board should also be constituted to look after the interests of the workers working in this industry. It would be better if Government takes over the mica mining industry.

The consumer price index in Nagpur is 1939 was 100. It rose to 540 in 1963. This affects the workers badly. Government should take steps to ensure that the real wages of the working classes of the country do not fall below a certain minimum level and if they fall below that level, the workers should be given subsidies to maintain their earnings at a particular level. The working classes should at least be paid a subsistence wage.

श्रम और रोगजार मंत्री (श्री संजीवैय्या): मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा गत वर्ष दिये गये आश्वासन के अनुसरण में श्रमिकों के मालिकों द्वारा तग किया जाने के प्रश्न पर केवल भारतीय श्रम सम्मेलन में ही विचार नहीं किया गया अपितु स्थायी समिति की बैठक में भी इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी और यह निर्णय किया गया कि श्रमिकों को सरक्षण देने के लिये सब से अच्छा उपाय यही है कि अनुशासन सहिता (कांड आफ डिसिप्लिन) तथा औद्योगिक समझोता संकल्प को बहुत सावधानी से कार्यान्वित किया जाये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

केन्द्रीय क्षेत्र में किये कार्यों के सम्बध में वार्षिक प्रतिवेदनों में प्रथक आंकड़े देने सम्बंधी आश्वासन को पूरा कर दिया गया है। केन्द्रोय क्षेत्र में १९६२ में ४.६ लाख जनदिनों की हानि हुई जबकि १९६३ में यह संख्या ३.१ लाख हो गई है। अतः स्पष्ट है कि केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक सम्बंधों में काफी सुधार हुआ है। सारे देश के सम्बध में ये आंकड़े क्रमशः ६१ लाख तथा २९ लाख हैं। कुछ मामलों को छोड़कर श्रम सम्बंध सामान्यता शांतिपूर्ण रहे ।

एक अन्य आश्वासन के अनुसरण में १२-११-६३ को श्रमजीवी पत्रकारों के लिये एक मजूरी बोर्ड की स्थापना कर दी गई है। समाचारपत्र स्थापनाओं में काम करने वाले गैरपत्रकारों के लिये भी २५ फरवरी १९६४ को एक अन्य मजूरी बोर्ड नियुक्त कर दिया गया है।

देश में इंजीनियरिंग उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने बहुत से स्थानों का दौरा किया। आशा है कि अगले मास के अन्त तक वह अपना प्रतिवेदन सरकार को दे देगा और इंजीनियरिंग उद्योग के लिये एक मजूरी बोर्ड बनाने के प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

जिन मामलों को कार्यान्वित नहीं किया गया उनकी जानकारी देने वाला विवरण २५-७-६३ को सभा पटल पर रख दिया गया था।

अब मैं उन कार्यों पर प्रकाश डालूंगा जो यह मंत्रालय वर्ष १९६४-६५ में करने जा रहा है। कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन को एक स्वायत्तशासी निकाय बनाने का विचार है। १० प्रादेशिक अस्पतालों के निर्माण तथा वर्तमान अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये 'भारत दर्शन' कार्यक्रम फिर से प्रारम्भ कर दिया गया है। कोयला खान श्रमिकों के लिए नई गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ३०,००० अतिरिक्त मकान तथा सस्ते मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत १५,००० मकान बनाने की मंजूरी देने का विचार है। झरिया कोयला क्षेत्र में मनेनगढ़ में एक केन्द्रीय अस्पताल खोलने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। कोयला खानों के क्षय रोगियों के अस्पतालों में उपचार के लिये अधिक सुविधायें देने के उद्देश्य से दोनों केन्द्रीय अस्पतालों में क्षय रोगी भवनों का निर्माण किया जा रहा है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और १९६४-६५ में चार केन्द्रीय स्टोर खोले जायेंगे।

केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर खानों में सुरक्षा सम्बंधी राष्ट्रीय परिषद् के नमूने पर कोयला खान कारखानों के लिये परिषदें स्थापित करने का सरकार का विचार है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों की योजना पर विचार करने के लिये संसद् सदस्यों, श्रमिकों, नियोजकों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक उपसमिति नियुक्त की गई थी। 'श्रम पंडित' योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजना भी तैयार की गई थी और राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी। उसके स्थान पर अब एक नई योजना लाई जा रही है।

केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई में एक सांख्यिकी तथा अनुसंधान एकक जोड़ने का प्रस्ताव है। श्रमिक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिये अमरीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक दृश्य-श्रवय् विशेषज्ञ बुलाया गया है।

विभिन्न उद्योगों के लिये अब तक १३ मजूरी बोर्ड नियुक्त किये गये हैं। इनके कार्यक्षेत्र में २८ लाख श्रमिक आते हैं। इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के बारे में सरकार जो कारंवाई कर रही है उसकी जानकारी मैं सभा को पहले ही दे चुका हूं। केमिकल तथा उर्वरक उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है।

गुजरात को छोड़कर कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रत्येक राज्य में लागू है। आशा है कि गुजरात में भी यह योजना १९६४ में लागू हो जायेगी। तीसरी योजना के अन्त तक लगभग ३० लाख औद्योगिक कर्मचारी तथा उन पर आश्रित १०० लाख से अधिक व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे। इस योजना के अन्तर्गत अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। १८ अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है और १६ अस्पतालों के बारे में नक्शे तथा अनुमान स्वीकार कर लिये गये हैं। इन सब पर २८.१ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना लगभग ३६ लाख श्रमिकों पर लागू कर दी गई है। हाल ही में इस योजना के अन्तर्गत अन्शदान ६¼ प्रतिशत से ८ प्रतिशत कर दिया गया है। इनमें से लगभग २४ लाख श्रमिक ८ प्रतिशत के हिसाब से अंशदान कर रहे हैं। कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिक भी ८ प्रतिशत के हिसाब से अंशदान कर रहे हैं। १ जनवरी, १९६४ से मृत्यु राहत निधि योजना (डेथ रिलीफ स्कीम) लागू कर दी गई है। यदि किसी श्रमिक की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के अन्तर्गत उसके बच्चों को कम से कम ५०० रुपये दिये जायेंगे। एक अन्य योजना अर्थात परिवार पेंशन योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

मैं इस दिशा में भरसक प्रयत्न करूंगा कि इस मंत्रालय में एक विशेष विभाग बनाया जाये ताकि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बिना विलम्ब कार्यान्वित किया जा सके।

अक्षम तथा बूढ़े व्यक्तियों, निराश्रित औरतों तथा रोजगारहीन बच्चों को सहायता देने के लिए एक राहत तथा सहायता निधि बनाने का विचार है। सरकार की इच्छा है कि यह योजना पंचायत अथवा नगरपालिका स्तर पर चलाई जाये।

खान अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है। हम अतिरिक्त सुरक्षा नियम बनाने, अखिल भारतीय खान विकास बोर्ड की स्थापना करने तथा खान के मुहानों पर सुरक्षा की व्यवस्था करने सम्बन्धी समितियां बनाने आदि के बारे में उपबन्ध करना चाहते हैं।

मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६, कारखाना अधिनियम, १९४८, न्यूनतम मजूरी अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ में भी संशोधन करने का सरकार का विचार है।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों के बारे में कुछ कहूंगा। जहां तक प्रशिक्षण सुविधाओं का सम्बन्ध है कुछ वर्ष पहले प्रशिक्षण संस्थाओं में केवल ४२६५८ स्थान थे, अब यह संख्या ७८२०० है और तीसरी योजना के अन्त तक यह १ लाख हो जायेगी। इस समय काम दिलाऊ दफ्तरों की संख्या ३७५ है। हम चाहते हैं कि जहां तक संभव हो देश के समस्त महत्वपूर्ण केन्द्रों में काम दिलाऊ दफ्तर खोल दिये जायें। फिर भी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय लोगों के लिए नौकरियां पैदा नहीं कर सकता है। यह तो केवल रोजगार ढूंढने में सहायता मात्र कर सकता है। पोलीटेकनिकों और इंजीनियरी कालेजों के अतिरिक्त मंत्रालय ७८,००० व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दे रहा है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में अन्य लोगों के साथ साथ शिक्षित लोगों को भी तकनीकी शिक्षा दी जाती है जिससे उन्हें कारखानों तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त करने में आसानी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए गांवों में उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम यार किए गये हैं।

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में भी काफी प्रगति हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत इस समय ८८,०६,००० कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध हैं, जब कि यह संख्या वर्ष १९५९–६० में केवल ३१,६५,००

थी। अस्पतालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, नये अस्पताल खोलने के लिए पर्याप्त धन राशि स्वीकृत की गई है।

श्रमजीवी महिलाओं को पर्याप्त सुविधायें देने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के प्रश्न पर सरकार शीघ्र विचार करेगी।

देश में आपातकाल की घोषणा के बाद १९८१ संकटकालीन उत्पादन समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों का कार्य काफी संतोषजनक रहा है और देश के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में ६० प्रतिशत से लेकर १३९ प्रतिशत तक हुई है।

स्वैच्छिक मध्यस्थता (वॉलंटरी आरबिट्रेशन) औद्योगिक विवादों को निबटाने का बहुत अच्छा तरीका है। बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को इसमें विश्वास है। औद्योगिक शान्ति संकल्प के पश्चात फरवरी १९६४ के अन्त तक १८४ मामले स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए सौंपे गये हैं। स्वैच्छिक मध्यस्थता संबंधी तथा अन्य सुविधायें उन्हीं कार्मिक संघों को उपलब्ध हैं जो आचार संहिता तथा औद्योगिक शांति संकल्प का पलान करते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिए अनुशासन संहिता (कोड ऑफ डिसिप्लिन) और औद्योगिक शान्ति संकल्प का पालन करना अत्यन्त आवश्यक है।

हमारा विचार था कि स्वैच्छिक मध्यस्थता पर होने वाला व्यय संबंधित पक्ष वहन करेंगे। इसकी बहुत आलोचना की गई और कहा गया कि इस से श्रमिकों को काफी हानि होती है। किन्तु प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मध्यस्थता के लिए ९४ प्रतिशत मामलों में पक्षों द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क विभाग (सेन्ट्रल इण्डस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी) के अधिकारी मध्यस्थता के लिए चुने गये और इस पर उन्हें किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ा।

श्रमिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत ३१ जनवरी, १९६४ तक १,०३,०५४ श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। हमने श्रमिकों को प्रशिक्षण देने के लिए २२ क्षेत्रीय तथा २२ उपक्षेत्रीय केन्द्र खोले हैं। इन केन्द्रों में आगामी वित्तीय वर्ष में ९६,८३२ श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि ५,६५,००० श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाय। प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों ने संकटकाल के समय अपने जीवन की बाजी लगा कर अत्यन्त साहसपूर्ण तथा सराहनीय कार्य किए हैं। इससे औद्योगिक संबंधों में काफी सुधार हो रहा है। श्रमिकों में रचनात्मक नेतृत्व की भावना जागृत हो रही है तथा अब श्रमिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अधिक समझने लगे हैं जिससे श्रम संबंधी समस्याओं को सुलझाने में काफी सहायता मिली है।

यह खेद की बात है कि विभिन्न राज्यों में श्रमिकों को दी जाने वाली निश्चित मजूरी बहुत कम है। यदि माननीय सदस्य विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली मजूरी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैं इसकी ब्योरेवार सूची सभा पटल पर रख सकता हूं। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जायेगा और उन्हें न्यूनतम मजूरी कम से कम १ रुपये प्रतिदिन देने के लिए कहा जायेगा।

कृषि के संबंध में श्रमिकों की स्थिति और अधिक खराब है। यद्यपि कुछ राज्यों में न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है, किन्तु यह निर्धारित मजूरी कहीं भी नहीं दी जा रही है। कृषि श्रमिकों को उपयुक्त न्यूनतम मजूरी देने के लिये ठोस कार्यवाही की जायेगी।

यद्यपि विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों के कल्याण की दिशा में, सरकारी बंजर भूमि का श्रमिकों में वितरण, सहकारी कृषि समितियों की स्थापना तथा श्रमिकों को मकानों के लिये निशुल्क भूमि देने की व्यवस्था कर के कुछ कार्य किया गया है, परन्तु इस संबंध में संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

हमारे सामने आज निरंतर बढ़ते हुए मूल्यों की समस्या बहुत गंभीर है। इसे सुलझाने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है। त्रिपक्षीय सम्मेलन में यह बात स्वीकार की गई है कि ३०० से अधिक कर्मचारी वाले औद्योगिक समवाय एक सस्ते मूल्य की दुकान अथवा सहकारी उपभोक्ता स्टोर खोलेंगे। इस समय देश में ऐसे औद्योगिक समवायों की संख्या ३३५७ है। इनमें से कुल १७३३ संस्थान अपने यहां सस्ते मूल्य वाली दुकानें अथवा सहकारी उपभोक्ता स्टोर खोल चुके हैं। यदि आवश्यक हुआ तो इस संबंध में कानून की सहायता भी ली जायेगी। इस प्रकार की दुकान खोलने के संबंध में हमें प्रति दिन राज्य सरकारों से सूचनायें मिल रही हैं।

किन्तु सस्ते मूल्य की दुकानें अथवा सहकारी उपभोक्ता स्टोर खोलना समस्या का स्थायी हल नहीं है। सरकार इस संबंध में कड़े कदम उठाने का विचार कर रही है।

अखिल भारतीय कार्मिक संघ तथा हिन्दुस्तान मजदूर संघ दोनों ही स्थायी समिति की बैठक में इस बात पर सहमत हो गये हैं कि सरकार द्वारा मूल्यों को नियंत्रित करना उपलब्धियों अथवा मंहगाई भत्ते में वृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वृद्धि से कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हो पाता है। मूल्य और अधिक बढ़ जाते हैं।

बढ़ते हुए मूल्यों के नाम पर हड़ताल, सत्याग्रह अथवा कोई हिंसात्मक कार्यवाही करना अनुचित बात है। इससे समस्या का हल निकलने के बजाय स्थिति और अधिक बिगड़ती है जो देश के हित में हानिकारक है। हम सबको मिलकर मूल्य कम करने के संबंध में सोच विचार कर कोई मार्ग ढूंढ़ निकालना चाहिए। अखिल भारतीय श्रमिक संघ की मजदूरों से मूल्य कम करने के लिये एकता की अपील का ढोंग रचकर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है। इससे हम उस एकता को भी गंवा बैठेंगे जो हम चीन के आक्रमण के समय बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाये हैं। इस लिये मैं विरोधी दल के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे देश में शान्ति बनाये रखने के लिए जनता में इस प्रकार के फूट के बीज न बोयें, विशेषरूप से उस समय जब हमारे लिए बाहरी दुश्मनों का खतरा बना हुआ है।

कुछ माननीय सदस्यों ने आपातकालीन स्थिति को समाप्त करने का अनुरोध किया है। उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि सीमाओं पर दुश्मनों की सेना का भारी संख्या में जमाव है, देश की आन्तरिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, इस लिये अभी आपातकालीन स्थिति समाप्त नहीं की जा सकती है।

महाराष्ट्र तथा गुजरात में निर्वाह-व्यय देशनांकों (कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स) की जांच करने के लिए समितियां नियुक्त की गई थीं। इनमें कुछ त्रुटियां पाई गईं थी जो अब दूर कर दी गई हैं। इस समय श्रमिकों को नये निर्वाह-व्यय देशनांकों के आधार पर मंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सरकार शिमला स्थित 'श्रम ब्यूरो' द्वारा तैयार किये गये देशनांक आंकड़ों पर विचार करने के लिए तैयार है। उपभोक्ता मूल्य देशनांकों का संकलन करते समय अन्तर्राष्ट्रीय मान दृष्टि में रखे जाते हैं। यह कार्य योग्य अधिकारियों की देख रेख में किया जाता है इस लिए इसमें त्रुटि की कम गुंजायश रहती है। ये आंकड़े प्रति सप्ताह नियमित रूप से तैयार किये जाते हैं। इस कार्य में यदि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि सरकार का हाथ बटाना चाहें तो बटा सकते हैं।

जहां तक मंहगाई भत्ते को निर्वाह-व्यय देशनांकों से सम्बद्ध करने का प्रश्न है, मैं सिद्धान्त रूप में इसके लिए सहमत हूं। अधिकांश मजूरी बोर्ड इसी के अनुसार मजूरी निर्धारित कर रहे हैं।

कोयला खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नई आवास योजना के अन्तर्गत ३०,००० और मकान तथा कम लागत आवास योजना के अन्तर्गत १५,००० मकानों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। अभ्रक खानों, गोदी तथा बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी इसी प्रकार मकान बनाने के प्रस्ताव हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए १ लाख ३७ हजार मकानों का निर्माण किया जा चुका है। इस कार्य में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं जिन्हें धीरे धीरे दूर किया जा रहा है ताकि औद्योगिक आवास निर्माण कार्यक्रम शीघ्रता से क्रियान्वित किया जा सके।

मुझे आशा है कि मैंने लगभग सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। यदि कोई बात रह गई हो तो मंत्रालय उस पर विचार कर के उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

श्री मुहम्मद इलियास (हावड़ा) : मंत्री महोदय ने श्रमिकों तथा उनके नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे लोग औद्योगिक शान्ति समिति के साथ सहयोग नहीं करते किन्तु उन नियोजकों के बारे में कुछ नहीं कहा गया जो मजूरी बोर्डों के निर्णय, न्यायाधिकरणों तथा उच्चतम न्यायालय के पंचाटों का पालन नहीं करते हैं तथा आचार संहिता, औद्योगिक शान्ति संकल्प का उल्लंघन करते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या और अधिक मजूरी बोर्ड नियुक्त किये जायेंगे, और यदि हां, तो क्या उन के अन्तर्गत रासायनिक तथा चर्म उद्योग भी रखे जायेंगे ?

श्री संजीवैय्या : इंजीनियरी, रसायन तथा कपड़ा उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड हैं।

श्रीमती विमला देवी (एलुरू) : यदि उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों तथा निर्णय को नहीं मानते हैं तो केन्द्र सरकार क्या दृष्टिकोण अपनाती है ?

श्री संजीवैय्या : किसी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। क्रियान्वित न किए जाने पर विवाद को न्यायनिर्णय के लिए किसी न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाता है।

श्री बड़े (खारगोन): कृषि श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या सरकार नियोजकों द्वारा श्रमिकों के लिए अनिवार्य रूप से मकानों का निर्माण करने के लिए कोई कानून बनायेगी ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सरकार बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : "इसलिए" शब्द के बाद के शब्दों की उपेक्षा की जाय।

श्री संजीवैय्या : श्री कामत ने कहा कि सरकार सहानुभूतिहीन प्रतीत होती है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने कहा था ऐसा लगता है।

श्री संजीवैय्या : मेरी अपनी योजनाएं हैं और उनकी योजनाओं के साथ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

श्री आ० प्र० शर्मा : स्पष्टीकरण के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो मज़दूर संघ अनुशासन का पालन नहीं करते उनकी मान्यता वापस ले ली जायगी ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं यह पूछना चाहता हूं कि मध्यस्थता का मार्ग तो तब तक नहीं अपनाया जा सकता जब तक दोनों पक्ष राजी न हों।

श्री संजीवैय्याः : मैं ने तुरन्त सुधार कर लिया था और मध्यस्थता के स्थान पर न्यायिक निर्णय का शब्द प्रयोग किया था

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

The cut motions were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Labour and Employment were put and adopted :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७०	श्रम और रोज़गार मंत्रालय	२७,११,०००
७१	मुख्य खान निरीक्षक	३१,९२,०००
७२	श्रम और रोज़गार . . .	. १०,३४,०१,०००
७३	श्रम और रोज़गार मंत्रालयका अन्य राजस्व व्यय	१३,६७,०००
१३४	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	३,४०,०००

प्रतिरक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे। पहले मैं मांगों को प्रस्तुत करता हूं।

वर्ष १९६४-६५ के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
३	प्रतिरक्षा मंत्रालय .	५५,४६,०००
४	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—सेना .	५,३४,३१,१३,०००
५	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—नौ सेना	२१,२१,६२,०००
६	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी—वायुसेना	१,१४,२२,५८,०००
७	प्रतिरक्षा सेवायें—अक्रियाकारी .	२०,०७,५०,०००
११३	प्रतिरक्षा का पूंजी परिव्यय . . .	१,२६,२०,४२,०००

प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
३	१	श्री ह० चं० सोय	अनियमितताएं और परिहार्य हानि	१०० रुपये
४	३	श्री ह० चं० सोय	बिहार रेजेमेंट मे आदिवासी कमीशन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	६	श्री हरि विष्णु कामत	१४ नवम्बर, १९६२ को किये गये वचन को पूरा न करना	१०० रुपये
३	७	श्री हरि विष्णु कामत	युद्धेच्छक पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफलता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३	८	श्री अ० व० राघवन	सैनिक परिचर्या अधिकारी पदाली में लिंग भेद पर भेदभाव की नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३	९	श्री अ० व० राघवन	पुलिस की पक्षपातपूर्ण जांच पर सैनिक कर्मचारियों का निकाला जाना	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
३	१४	श्री अ० व० राघवन	जवानों के लिये अपर्याप्त आवास व्यवस्था	१०० रुपये
३	१५	श्री अ० व० राघवन	सैनिक कर्मचारियों को प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	१६	श्री अ० व० राघवन	जवानों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	१७	श्री अ० व० राघवन	केरल में प्रतिरक्षा उत्पादन कारखाना स्थापित करने की भेद भाव की नीति	१०० रुपये
३	१८	श्री अ० व० राघवन	अहिंदी भाषी जवानों द्वारा हिंदी परीक्षा पास करने के विनियमों में ढील देने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	१९	श्री अ० व० राघवन	निम्न पदों से ५० प्रतिशत कमीशन पदों की रिक्तियां भरना	१०० रुपये
३	२०	श्री अ० व० राघवन	पुलिस की बजाय राज्यों के सैनिक, नौ सैनिक और वायु सैनिक बोर्ड द्वारा जांच की व्यवस्था करना	१०० रुपये
३	२१	श्री अ० व० राघवन	राज्य सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक बोर्ड की सेवा संबंधी शर्तों को बेहतर बनाना	१०० रुपये
३	२२	श्री अ० व० राघवन	ज़िला सैनिक बोर्डों में टेलीफोन लगाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
३	२३	श्री अ० व० राघवन	केन्द्रीय सरकार की २५ प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखना	१०० रुपये
३	२४	श्री अ० व० राघवन	भूतपूर्व सैनिकों की पदोन्नतियों के लिए युद्ध सेवावधि को हिसाब में लेने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	२५	श्री अ० व० राघवन	वेतन और छुट्टी के दिन दी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य को जमा कर के उस के आधार पर पेंशन निर्धारण	१०० रुपये
३	२६	श्री अ० व० राघवन	राज्य युद्धोत्तर पुनर्निर्माण निधि समिति के संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	२७	श्री अ० व० राघवन	भारतीय सैनिक बोर्ड में भूतपूर्व जे० सी० ओ० को प्रतिनिधित्व न देना	१०० रुपये
३	२८	श्री अ० व० राघवन	भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में एन बी गाड़ियां रक्षित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	२९	श्री अ० व० राघवन	अधिक सैनिक स्कूल स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	३०	श्री अ० व० राघवन	जवानों के वस्त्र भत्ता बढ़ाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	३१	श्री अ० व० राघवन	लक्षद्वीप में भर्ती दफ्तर खोलने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	३२	श्री यशपाल सिंह	विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए उच्च शक्ति आयोग स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	३३	श्री रंगा	सैनिकों, अधिकारियों और कमांडरों के बीच कम औपचारिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये

134 (ai) LSD—7.

१	२	३	४	५
३	३४	श्री रंगा	सीमा प्रतिरक्षा निर्माण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	३५	श्री रंगा	प्रतिरक्षा परिषद् का आधार विस्तृत बनाना	१०० रुपये
३	३६	श्री रंगा	नेफा रिपोर्ट प्रकाशित न करना	१०० रुपये
३	३७	श्री रंगा	फ़ज़ूल-खर्ची रोकने के लिए सेवा निवृत्त जेनरलों की समिति बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	३८	श्री रंगा	ए० वी० आर० ओ० विमान का बड़े पैमाने पर निर्माण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	४०	श्री रंगा	नेफा की गड़बड़ के बाद गुम हुए अधिकारियों को ढूंढने में विफलता	१०० रुपये
४	४८	श्री दीनेन भट्टाचार्य	बंगालियों की रेजेमेंट न बनाना	१०० रुपये
४	५२	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कलकत्ता की प्रिंस अनवर शाह सड़क पर के प्लाट न लौटाना	१०० रुपये
७	५३	श्री दीनेन भट्टाचार्य	प्रतिरक्षा कर्मचारियों को प्रगतिवादी साहित्य न देना	१०० रुपये
3	54	Shri Kishen Pattnayak.	Failure in making radical change in the Defence Policy framed by imperialists.	sum be reduced to Re 1
३	५५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पनडुब्बी बेड़ा लेने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
३	५६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	अमरीकी सातवें बेड़े के दौरे का विरोध करने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
३	५७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	ऐसे शस्त्रास्त्र खरीदना जिन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की मनाही है	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय

१	२	३	४	५
३	५८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	अधिकारियों और सैनिकों में अब भी वर्ग विभाजन की प्रवृत्ति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय
3	59	Shri Kishen Pattnayak	Need for judicial enquiry into the annililation of Indian army.	Rs. 100
3	60	Shri Kishan Pattnayak	Relations between ranks and officers.	Rs. 100
3	61	Shri Kishan Pattnayak	Need for change in training system.	Rs. 100
३	६२	श्री हरि विष्णु कामत	आज़ाद हिंद फौज के भूतपूर्व कर्मचारियों को बकाया भुगतान की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता	१०० रुपये
३	६३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	अपने प्रतिरक्षा उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता	१०० रुपये
३	६४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	युद्ध सामग्री के कारखानों में अच्छे श्रम सम्बन्धों की आवश्यकता	१०० रुपये
३	६५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	मिग प्रतिस्वन विमान का निर्माण करने में विलम्ब	१०० रुपये
३	६६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	संयुक्त वायु शिक्षा में रडार की विफलता	१०० रुपये
३	६७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पश्चिमी बंगाल में उतरने वाले पाकिस्तानी हेली काप्टर के विरुद्ध कार्यवाही में विफलता	१०० रुपये
३	६८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को सेनाओं में भर्ती करने की आवश्यकता	१०० रुपये
४	६९	डा० मा० श्री० अणे	भर्ती की नीति	१०० रुपये

१	२	३	४	५
४	७०	डा० मा० श्री अणे	राष्ट्रीय मलेशिया बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
५	७१	डा० मा० श्री अणे	पनडुब्बियों का अपर्याप्त प्रबन्ध	१०० रुपये
६	७२	डा० मा० श्री अणे	वायु सेना को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये

अध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री रंगा : यह अन्तर करने की आवश्यकता नहीं कि किस ने कटौती प्रस्ताव रखा। उन्हे हमारे दल की ओर से कटौती प्रस्ताव समझे जायें।

इसके पश्चात लोक सभा शुक्रवार, २० मार्च, १९६४/३० फाल्गुन, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, the 20th March, 1964/Phalguna 30, 1885 (Saka).